हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

12 मार्च, 2001

खण्ड-1, अंक 6

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 12 मार्च, 2001

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(6) 1
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(6) 22
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(6) 24
आधे घण्टे की चर्चा	(6) 27
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएं	(6) 27
13 मार्च, 2001 को दूसरी बैठक	(6) 28
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	(6) 28
बजट के तथाकथित लीकेज होने पर निर्णय	(6) 28
वर्ष 2001-2002 के लिए बजट प्रस्तुत करना	(6) 33
वाक-आउट	(6) 33
वर्ष 2001-2002 के लिए बजट प्रस्तुत करना (पुनरारम्भ)	(6) 33

मूल्य :.. 67

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 12 मार्च, 2001

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1 चण्डीगढ़ में दोपहर बाद 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादयान) ने अध्यक्षता की।

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल जवाब होंगे।

Girls School in Model Town, Kaithal

***267. Sh. Lila Ram :** Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a new Girls School in Model Town, Kaithal ; and

(b) if so, the time by which it is likely to be set up ?

शिक्षा राज्य मन्त्री (चौ0 बहादुर सिंह) :

(क) नहीं, श्री मान जी,

(ख) (क) के दृष्टिगत, प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री लीला राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित मुख्यमन्त्री जी व शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि कैथल जिला हैडक्वार्टर है और वहां पर जो अनाज मण्डी का एरिया है जिसके साथ जाखोली अड्डा एरिया, रामनगर, सरगौधा कालोनी, माडल टाउन न्यू अनाज मण्डी, रजनी कालोनी, बैंक कालोनी, पटेल नगर, शेरगढ़ रोड एरिया और प्योदा रोड आदि का एरिया लगता है। वहां पर लगभग 25 हजार की आबादी है और उस एरिये में एक भी दस जमा दो का कन्या विद्यालय नहीं है। लड़कियों को पढ़ने के लिए दूर-दूर जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, कैथल के अन्दर दस जमा दो का लड़कियों का एक ही स्कूल है और वह स्कूल जो एरिया मैंने बताया है, उससे काफी दूर पड़ता है। इस स्कूल में दो शिफ्टों में कक्षाएं चलती हैं और एक कक्षा में 120 से लेकर 150 तक छात्राएं हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां पर दोबारा से सर्वे करवाकर लड़कियों का दस जमा दो का स्कूल बनवाया जाये। वहां पर जमीन की भी कोई समस्या नहीं है क्योंकि जमीन कैथल नगरपालिका के पास है और वह जमीन स्कूल के लिए मिल जायेगी। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री जी से एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि चंदाना गेट का जो एरिया है वहां एक भी स्कूल नहीं है इसलिए वहां पर भी एक स्कूल और बनवाया जाये।

चौ० बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, लीला राम जी ने कन्या विद्यालय बनाने के बारे में सवाल पूछा है इसलिए ये वहां पर जमीन और दो कमरों का बंदोबस्त करवा दें फिर वहां पर कन्या विद्यालय बनाने के बारे में विचार कर लिया जायेगा।

श्री लीला राम : धन्यवाद सर।

Shifting of Accounts Training Institute

***310 Shri Sher Singh :** Will the Minister for Finance be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the Accounts Training Institute of Finance Department from Chandigarh to some other place in the State, if so, the details thereof ?

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Yes Sir, The Government is examining a suggestion to shift the Accounts Training Institute of Finance Department from Chandigarh to some other place in the State, but a final decision is yet to be taken in the matter.

श्री शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या यह प्रशिक्षण संस्थान फुली सब्सक्राईब है ? इस प्रशिक्षण संस्थान में लगभग पांच कोर्सिज एक साल में चलते हैं और यहां पर छात्र भी बहुत कम आते हैं। यहां पर छात्र कम आने का क्या कारण है ?

प्रो० संपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे माननीय साथी चौधरी शेर सिंह जी को बताना चाहूंगा कि इस प्रशिक्षण संस्थान में एस० ए० एस०, डी० डी० ओ०, पी० डब्ल्यू० डी० और सिविल चार तरह के कोर्सिज का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन सभी कोर्सिज के लिए अलग-अलग टर्म्ज हैं और उसी हिसाब से कोर्सिज की ट्रेनिंग दी जा रही है। जहां तक छात्रों की संख्या की कमी है, इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रशिक्षण संस्थान में 1996-97 में 147 छात्र थे, 1997-98 में 142 छात्र थे, 1998-99 में 149 छात्र थे और 1999-2000 में 174 छात्र थे। इस तरह से यदि हम देखें तो पता लगता है कि हर साल यहां पर छात्रों की संख्या बढ़ ही रही है बजाय घटने के। हम चाहते हैं कि यहां पर ट्रेनीज की संख्या साल दर साल बढ़े और यह संख्या बढ़ भी रही है लेकिन जितने ट्रेनीज को हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं उस हिसाब से छात्र नहीं हैं। हम पूरा प्रबंध कर रहे हैं कि यहां पर छात्रों की संख्या बढ़े।

श्री शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यहां पर छात्रों की संख्या किस कारण से कम हो रही है। यह प्रशिक्षण संस्थान यहां से कब बदला जायेगा। जहां तक मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक दूर होने के कारण यहां पर छात्र ट्रेनिंग लेने के लिए आते ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : शेर सिंह जी, प्लीज आप सुझाव न दें। आप सवाल पूछें।

श्री शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यही है कि इस संस्थान को यहां से किसी सैंट्रल प्लेस पर कब तक शिफ्ट किया जायेगा।

प्रो0 संपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक संख्या कम होने का प्रश्न है इस बारे में मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि वहां पर छात्रों की संख्या कम नहीं हो रही बल्कि हर साल बढ़ रही है। 1996-97 में 147 छात्र थे और 1998-99 में यह संख्या बढ़कर 148 हो गई थी। इसी तरह पिछले साल यह संख्या 174 थी और आने वाले साल में कितने छात्र वहां पर ट्रेनिंग लेंगे, इसका पता 31 मार्च को लगेगा। जहां तक सुविधाओं का ताल्लुक है, हमारी सरकार वहां पर हर सुविधा देगी। केवल वहां पर होस्टल की कमी है उसको हम महसूस कर रहे हैं। इसलिए उसके गुण और दोष पर विचार किया जायेगा कि केवल होस्टल न होने के कारण ही इस प्रशिक्षण संस्थान को यहां से बदला जाये या नहीं बदला जाये। होस्टल में फैसिलिटीज आसानी से मिल जाएंगी जबकि दूसरी जगह जाएंगे तो इतनी फैसिलिटीज नहीं मिल पाएंगी।। इन बातों पर हम विचार कर रहे हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या 571

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे)

तारांकित प्रश्न संख्या 511

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे)

Drinking Water

***356. Shri Udai Bhan :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide drinking water in the municipal area of Hodel ; and

(b) if the reply to part (a) above be in affirmative, the extent to which the work of above said proposal has been completed so far whereas the said work was to be completed by the Government upto 31-12-2000 ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) यह योजना दसवें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अब भारत सरकार द्वारा कार्य पूर्ण करने की सीमा अवधि 31-3-2001 तक बढ़ा दी गई है। कार्य पूरा करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं जोकि भारत सरकार से वित्तीय सहायता शीघ्र प्राप्त होने पर निर्भर है।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 31-3-2001 तक के समय में तो केवल 20 दिन शेष हैं। अभी तक लाइनिंग का काम भी शुरू नहीं हुआ है। यह काम कब शुरु होगा ? इसके अलावा इस काम के लिये कितना बजट था और उसमें से कितना व्यय हो चुका है। इस कस्बे की 35,000 की आबादी है और पूरे कस्बे में पीने का पानी नहीं है। नौ टयूबवैल्ज लगने थे जिसमें से अभी तक पांच टयूबवैल्ज लगाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आप केवल सवाल पूछें। जवाब तो मंत्री जी देंगे।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि जो लाइनिंग होनी है वह पाइप लाइन रेलवे लाइन के नीचे से जानी है तो क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इस सम्बन्ध में रेलवे डिपार्टमैंट के साथ कोई बातचीत हुई है ? आज इस काम की क्या स्थिति है क्योंकि अभी तक लाइनिंग का काम शुरू नहीं हुआ है। छः महीने से काम भी ठप्प पड़ा हुआ है।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : स्पीकर सर, जैसा कि मेरे साथी ने बजट की बात की है, इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से सम्मानित साथी को बताना चाहूंगा कि इस काम की अनुमानित लागत 447 लाख रुपये थी, जिसमें से 151 लाख रुपये की राशि उपलब्ध हुई है तथा 120.31 लाख रुपये की राशि खर्च हो चुकी है। यह बात ठीक है कि 31-3-2001 तक इस काम का समय पूरा होने जा रहा है लेकिन हरियाणा प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके इस अवधि को बढ़वाने की कोशिश की है और आशा है कि इस काम की अवधि बढ़ जाएगी। यह बात ठीक है कि जहां से होडल शहर तक पानी की सप्लाई लाने की बात है तो वह वाटर वर्क्स 9-10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। बांसवा गांव है जहां से लाइनिंग आएगी और होडल शहर को पानी की आपूर्ति होगी। यहां पर 9 टयूबवैल्ज लगाने थे, जिसमें से पांच लग चुके हैं। इसी प्रकार से स्वच्छ पानी देने के लिए एक टैंक तैयार करने का काम भी पूरा हो चुका है जिसकी क्षमता 4.68 लाख टन है। चैम्बर्ज-कम-स्विच वर्क का कार्य भी पूरा हो चुका है। बूस्टिंग मशीनरी के लिए भी टैण्डर काल किये जा चुके हैं। बांसवा वाटर वर्क्स से होडल शहर के वाटर वर्क्स तक मेन राइजिंग का कार्य भी अलाट हो चुका है। जहां तक लाइनिंग का काम था उसमें 100 एम0 एम0 की चार हजार मीटर लाइनिंग होनी है जिसमें से 175 मीटर लाइनिंग बिछा दी गई है। दूसरी तरफ 150 एम0 एम0 की 3600 मीटर लाइनिंग में से 1020 मीटर लाइनिंग बिछा दी गई है। इस समय कार्य प्रगति पर है।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अब कार्य काफी दिनों से बन्द पड़ा है और ऐसा पता चला है कि सरकारी नोर्म्ज के मुताबिक काम न होने की वजह से कन्ट्रैक्टर काम छोड़ गया है ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय जैसा कि माननीय साथी ने बताया कि कन्ट्रैक्टर काम छोड़ गया है, ऐसी बात नहीं है। सरकार इस बात के लिए विजीलैंट है और कन्ट्रैक्टर से बातचीत शुरू करके तत्परता के साथ इस कार्य को शुरू कराया जाएगा।

श्री उदय भान : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस बारे में रेलवे विभाग से परमीशन लेनी थी क्योंकि रेलवे लाईन के नीचे से पाइप लाईन जानी है तो उस बारे में मंत्री जी के महकमें ने क्या कार्यवाही की है और क्या रेलवे विभाग से उसकी परमीशन मिल गई है ?

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि रेलवे विभाग के साथ हमारी मंत्रणा हो रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें उसकी परमीशन मिल जाएगी ।

तारांकित प्रश्न सं0 507

(यह प्रश्न नहीं पूछा गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री चन्द्र भाटिया सदन में उपस्थित नहीं थे)

Persons living below Poverty Line

***580. Shri Dev Raj Dewan :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to conduct any fresh survey to find out the families which are still living below poverty line in the State ?

Chief Minister (Shri Om Parkash Chautala) : No, Sir.

श्री देव राज दीवान : स्पीकर साहब,गांवों और शहरों के बहुत से परिवारों की शिकायत है कि उनके यहां सर्वे करने के लिए कोई गया ही नहीं। अधिकारियों ने अपने आप ही लिस्टें बना ली। सर्वे हुआ ही नहीं। गांवों और शहरों के बहुत से गरीब परिवारों की शिकायत है कि अगर सही सर्वे हो जाए तो उनका नाम गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने वालों की लिस्ट में आ जाएगा। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में दोबारा सर्वे करवाएगी ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : स्पीकर साहब, बी0 पी0 एल0 का सर्वे 1997-98 और 1999-2000 में किया गया था उनमें इस प्रकार की शिकायतें आई थीं लेकिन उसके बाद जो सर्वे किया गया है उसमें इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई। अगर बाद में जो सर्वे हुआ अगर उसके बारे में किसी को कोई शिकायत है या उसके बारे में किसी को कोई इररैगुलैरिटी दिखाई दे रही है तो उसकी हम जांच-पड़ताल करवा लेंगे, अगर वह फैमिली नार्म्ज पूरे करती होगी तो उसको बी0 पी0 एल0 की लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदेश में बी0 पी0 एल0 जीवन बसर करने वाले 856562 परिवार हैं जबकि 1997-98 के सर्वे में 530019 थे। नए सर्वे के बाद ज्यादा लोग शामिल किए गए।

श्री बंता राम : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य श्री दीवान साहब ने जो सवाल किया है मैं उसकी ताईद करता हूं कि काफी लोग बी0पी0एल0 लिस्ट में शामिल होने से वंचित रह गए। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो गरीब परिवार बी0 पी0 एल0 की लिस्ट में नहीं आ सके उनकी बड़े अच्छे तरीके से स्क्रीनिंग करके उनको भी बी0 पी0 एल0 की लिस्ट में शामिल किया जाए।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर साहब, मैं पहले भी यह जवाब दे चुका हूं कि जो इस तरह के 10 या 20 परिवार रह गए हैं जिनको यह शिकायत है कि उनका नाम बी0 पी0 एल0 की लिस्ट में आ सकता है तो उसकी हम जांच पड़ताल करवा लेंगे और जो परिवार नार्म्ज पूरे करता

[श्री राम पाल माजरा]

होगा उसको बी0पी0एल0 की लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। स्पीकर साहब, जो परिवार गरीबी रेखा से ऊपर हैं उनको सफेद कार्ड मिले हुए हैं। जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको पीले कार्ड मिले हुए हैं और जो बहुत ही गरीब हैं जो गरीबी रेखा से भी नीचे हैं उनको गुलाबी कार्ड मिले हुए हैं। देश के आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने एक अन्त्योदय योजना लागू की है उसमें भी काफी गरीब लोगों को कवर किया गया है। उस स्कीम में गरीबों में से ही सर्वे करके उसमें शामिल करने का काम किया जाएगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी बताया कि बी0 पी0 एल0 जीवन बसर करने वाले परिवारों का दो बार सर्वे करवाया गया। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि दोनों सालों के सर्वे में डिफरैंस क्यों है ? बाद में जो सर्वे करवाया उसमें बढ़ोतरी होने का क्या कारण है क्या उनके क्राइटेरिया में कोई फर्क था या पहले वाले सर्वे में कोई खामियां थीं ? हरियाणा प्रदेश में एस0 सी0 बी0 सी0 की ऐसी बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो बी0 पी0 एल0 की लिस्ट से वंचित रह गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो एस0 सी0 और बी0 सी0 की बहुत सी फैमिली बी0 पी0 एल0 की लिस्ट से वंचित रह गई हैं। उनके बारे में दोबारा सर्वे कराएंगे ताकि उनका नाम भी बी0 पी0 एल0 की लिस्ट में आ सके।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के सम्मानित सदस्यों को विशेष रूप से जानकारी देना चाहूंगा कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने वालों का सर्वेक्षण केन्द्रीय सरकार के स्तर पर हुआ है और उसमें हम कोई लम्बा-चौड़ा परिवर्तन भी नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी हमने अपने लैवल पर कुछ प्रयास किया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को बी0 पी0 एल0 की जानकारी मिल सके और हम स्टेट लैवल पर उनकी मदद कर सकें। भारत सरकार ने जो पैमाना बी0 पी0 एल0 का तय किया है उस बारे में मैं माजरा साहब से निवेदन करूंगा कि वे भारत सरकार द्वारा तय किया गया जो पैमाना है उसको ये सदन के सदस्यों को बता दें। उनके द्वारा पैमाना बताये जाने पर आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा और पंजाब में तो शायद ही कोई व्यक्ति उस पैमाने को पूरा कर पायेगा। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि मूलभूत सुविधाएं आम नागरिकों को मिल सकें। जो व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं, हम उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने ठीक कहा है कि भारत सरकार के पैमाने के हिसाब से बहुत ही रेयर केसिज़ बी0 पी0 एल0 की रेखा के नीचे आ पायेंगे। भारत सरकार के नार्म्ज के अनुसार हरियाणा प्रदेश में 289.31 रुपये प्रति व्यक्ति पर एक महीने से ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिये। 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन काश्त न करता हो, उस के पास पक्का मकान न हो, उस परिवार का कोई सदस्य नौकरी में या स्वरोजगार स्कीम के तहत 24302 रुपये से ज्यादा वार्षिक न कमाता हो, भूमिहीन हो, न ही उसके पास कोई मोटर सवारी हो, उसके पास बिजली का कनैक्शन न हो और कोई पशु शैड आदि न हो या वृद्धों के पास आमदनी का कोई साधन न हो। यदि हम इस क्राईटेरिया के हिसाब से चलें या हम इसको गहराई से ऐडौप्ट करें तो शायद ही कोई व्यक्ति बी0 पी0 एल0 की स्कीम के तहत आ पायेगा। फिर भी हमने इन नार्म्ज से परे हट कर इस प्रकार की कोशिश की है कि अधिक से अधिक लोग इस स्कीम में शामिल हो सकें। बी0 पी0 एल0 की स्कीम के तहत लोगों को शामिल करने के लिए जनप्रतिनिधियों के पास, पंचायतों के पास, जिला परिषदों के पास एप्लीकेशंज आईं, उनको कंसीडर करते हुए

जो आंशिक रूप से शामिल हो सकते थे जिनको बी0 पी0 एल0 की स्कीम में शामिल करना ठीक लगा उनको शामिल किया गया । हमने नए सर्वेक्षण के हिसाब से इन लोगों को शामिल किया है इसीलिए इनकी संख्या बढ़ी है।

डा0 रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने सदन में जानकारी दी कि पहले बी0 पी0 एल0 स्कीम के तहत 5 लाख लोग शामिल थे लेकिन नये सर्वेक्षण के हिसाब से यह संख्या 3 लाख बढ़ गयी है यानि अब इन लोगों की संख्या 8 लाख हो गयी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार के पास ऐसी कौन सी सोलिड प्लान ऑफ एक्शन है जिसके तहत इन नम्बरज़ की संख्या भविष्य में न बढ़े। मैं जानना चाह रहा हूं कि जो संख्या बढ़ रही है उसका कारण यह तो नहीं है कि हमारी प्लानिंग में कोई गलती है या बजट में हम कोई गलती कर रहे हैं या हमारी इण्डस्ट्रियल ग्रोथ में कमी है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इन लोगों को बी0 पी0 एल0 की स्कीम से ऊपर लाने के लिए सरकार के पास क्या स्कीम है यानि सरकार अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रही है ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार हर वर्ष 25 हजार परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का काम करती है। इन को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं जैसे उनको मकान बना कर दिए जाएं या उनको किसी प्रकार से लोन की सहायता देकर उनका व्यवसाय शुरू कराया जाता है ताकि ये लोग बी0 पी0 एल0 से ऊपर उठ सकें। अध्यक्ष महोदय, ठीक इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश की कोशिश है कि सरकार की तरफ से गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों की संख्या घटे। आप जन-प्रतिनिधि हैं। आप लोगों के बीच में कम जाते हैं। आपसे ज्यादा तो हमारे विधायक जाते हैं। कादयान जी, आप भी जनप्रतिनिधि हैं इसलिए आपको भी अच्छी प्रकार से पता है कि लोगों का नजरिया क्या है ? चालीस-चालीस साल के लोग कहते हैं कि हमारी बुढ़ापा पैंशन लगवा दो। खुद लोग इस प्रकार से मिलते हैं। अगर आप खुद जज हों तो अनुमान लगा सकते हैं। इसी प्रकार से गरीबी रेखा की भी स्थिति है। अगर गरीबी रेखा का नार्म बिल्कुल ठीक तरीके से ऐडॉप्ट किया जाता है तो हरियाणा प्रदेश में बहुत कम लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं।

श्री लछमनदास अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि यह जो 289 रुपये पर कैपिटा पर डे का है या पर कैपिटा पर मन्थ का है ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय श्री अरोड़ा जी को बताना चाहूंगा कि ये आंकड़े पर हैड पर मन्थ के हैं।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, अभी माजरा साहब सवाल के जवाब में कह रहे थे कि 1995-96 में जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे उनका सर्वे करवाया गया था उस सर्वे के हिसाब से करीब 5 लाख लोग थे और 1997-98 के सर्वे के मुताबिक यह फिगर आठ लाख बताई गई है। दूसरी तरफ उन्होंने यह बताया कि हर साल 25 हजार फैमिलीज को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास सरकार करती है। (विघ्न) दूसरी बात यह है कि मुख्य मंत्री जी जवाब दे रहे थे कि हरियाणा सरकार सर्वे नहीं करती है केन्द्र सरकार सर्वे करती है। क्या हरियाणा सरकार एकस्ट्रा सर्वे करवाती है या केन्द्र सरकार से सर्वे करवाती है और केन्द्र सरकार सहायता भी देती है तो यह जो फिगर बढ़ कर आ रही है क्या यह आपके सर्वे के मुताबिक है या कि केन्द्र सरकार के सर्वे के मुताबिक है ?

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गुप्ता जी को यह बताना चाहता हूं कि नॉर्म्ज तो केन्द्र सरकार ही तय करती है और सर्वे हरियाणा सरकार का है। नॉर्म्ज केन्द्र सरकार ने तय किये हैं और इम्पलीमैंटेशन हरियाणा सरकार का है । घर-घर जा कर इस बात का सर्वे किया जाता है और नॉर्मज के मुताबिक गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की पहचान की जाती है।

Opening of 10+2 Schools in Radaur Constituency

***488. Shri Banta Ram :** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open 10+2 Government Girls School in Radaur Constituency; if so, the time likely to be taken for opening of the such School ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ0 बहादुर सिंह) : नहीं श्री मान जी।

श्री बंता राम : स्पीकर सर, मैं ऐसे हल्के का जिक्र करना चाहता हूं जो हरियाणा प्रदेश का दिल है। स्पीकर सर, वैसे तो आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने रादौर क्षेत्र में ही नहीं बल्कि कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में मेरा हल्का थोड़ा सा वंचित है। मेरे हल्के में 10+2 का स्कूल न तो रादौर में है और न ही बाबैन में है, न हालैर में, न जठलाना में और न चमरोड़ी में है। मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से अनुरोध करुंगा कि लड़कियों का स्कूल बनने से तीन खानदानों का सुधार होता है। स्पीकर सर, आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पर जरुर विचार किया जाए।

चौ0 बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो भी स्कूल्ज अपग्रेड करवाने हैं, उनका प्रस्ताव बना कर भेजें अगर उनके नॉर्म्ज पूरे होंगे और बजट का प्रावधान होगा तो उनके स्कूल को 10+2 में अपग्रेड कर दिया जाएगा।

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, यहां पर स्कूलों के अपग्रेडेशन की बात आई है मैं भी आपके माध्यम से अपने हल्के साल्हावास की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। मेरे क्षेत्र साल्हावास का एक गांव बिहरोड़ लगभग 5 हजार की आबादी का गांव है और सराउंडिंग एरिया में गर्ल्ज का कोई भी गवर्नमैंट कॉलेज नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष ; यह स्कूल के अपग्रेडेशन का सवाल है और पर्टीकुलर नाम से है इसलिए आप रैलेवैंट सवाल पूछें।

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल एजूकेशन से सम्बन्धित है। मेरे हल्के की लड़कियों को दूर-दूर तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है। लड़कियों को पढ़ने के लिए दादरी और झज्जर जाना पड़ता है। अगर हमारी बच्चियों की शिक्षा में भागीदारी हो जाए तो ठीक रहेगा और इससे हमारी बहनों को ठीक शिक्षा मिल सकती है। इसी प्रकार से गांव कुहारड़ है जिसमें कक्षा आठ तक का स्कूल है और उसमें बिल्डिंग है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष ; मैडम, शिक्षा मंत्री जी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे । आप स्पैसिफिक एरिया के बारे में सवाल पूछें।

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, वहां पर 20 एकड़ जमीन है और 25 कमरे हैं।

चौ0 बहादुर सिंह : आप इस बारे में लिखकर दे दें और हम इस बारे में विचार कर लेंगे, वैसे आपका यह प्रश्न ही अलग है।

श्री बलवन्त सिंह मायना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये जो मिडिल से 10+2 स्कूलों को अपग्रेड करते हैं उसके क्या नॉर्म्ज हैं।

चौ0 बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो नॉर्म्ज के बारे में पूछा है तो मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि प्राईमरी से मिडिल करने के लिए 10 कमरे रूरल एरिया में 1 एकड़ जमीन, अर्बन एरिया में 1 एकड़ जमीन, कंट्रोल्ड एरिया में 1 एकड़ जमीन होनी चाहिये और वहां पर 150 बच्चे होने चाहियें और नजदीकी स्कूल से दो किलोमीटर का फासला होना चाहिये।

मिडिल से हाई करने के लिए 14 कमरे, कंट्रोल्ड एरिया में तीन एकड़ जमीन, रूरल एरिया में पांच एकड़ जमीन और अर्बन एरिया में दो एकड़ जमीन होनी चाहिये। इसके अलावा 6वीं से 8वीं तक 100 बच्चे होने चाहियें। नजदीकी स्कूल से चार किलोमीटर का डिस्टैंस होना चाहिये।

हाई से सीनियर सैकैंडरी बनाने के लिए क्लास रूम्ज के लिए 14 कमरे होने चाहियें, प्रिंसिपल रूम 1, ऑफिस रूम 1, स्टाफ रूम 1, स्टोर रूम 1, लाईब्रेरी 1 और म्यूजिक रूम 1 होना चाहिए, चार टॉयलेट्स होने चाहियें इनमें से दो लड़कियों के और दो लड़कों के टॉयलेट्स होने चाहिएं। साईंस लैबोरैटरीज 3 होनी चाहिए। कॉमर्स, जियोग्राफी और होम साईंस के लिए भी तीन लैबोरेटरीज होनी चाहिएं। रूरल एरिया में 5 एकड़ जमीन, कंट्रोल्ड एरिया में 3 एकड़ जमीन और अर्बन एरिया में 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए। नौंवी से दसवीं क्लास तक 100 बच्चे एवं साईंस में 150 बच्चे होने चाहिए। नियरैस्ट स्कूल से 10 किलोमीटर का डिस्टैंस होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये नॉर्म्ज स्कूलों को अपग्रेड करने के हैं। अपग्रेड करने के लिए जो भी हमारे पास प्रस्ताव आता है तो उसके लिए हम ये नॉर्म्ज देखते हैं।

श्री रामवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये तो गवर्नमैंट के स्कूलों को अपग्रेड करने के नॉर्म्ज हैं। क्या प्राईवेट स्कूलों को भी अपग्रेड करने के नॉर्म्ज हैं या उनको ऐसे ही अपग्रेड कर दिया जाता है। उनको भी अपग्रेड करने के नॉर्म्ज होने चाहिए क्योंकि वे छोटी-छोटी जगहों पर हाई स्कूल खोल कर बैठे हैं।

चौ0 बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मामला विचाराधीन है और हम उनके नॉर्म्ज भी फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार आपके द्वार में मुख्यमंत्री जी ने कितने स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा की थी। उनमें से कितने स्कूल अपग्रेड हो गए हैं और कितने नहीं हुए हैं जो अपग्रेड नहीं हुए हैं वे क्यों नहीं हुए हैं ?

चौ0 बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो सवाल किया है वह एक अलग सवाल है। लेकिन मैं इनको फिर भी बता देता हूं कि हमने 258 स्कूलों को अपग्रेड किया है। मुख्यमंत्री जी ने जिन स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा की थी, उनमें से जो भी स्कूल नॉर्म्ज पूरे करते थे, उनको हमने अपग्रेड कर दिया है और जो नॉर्म्ज पूरे नहीं करते थे उनको नार्म्ज पूरे करने के लिए कह दिया है और जब वे नॉर्म्ज पूरे कर देंगे तो हम उनके बारे में कंसीडर करेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन्होंने जो नॉर्म्ज बताएं हैं वे नॉर्म्ज कितने स्कूल पूरे करते हैं और कितने स्कूल नॉर्म्ज पूरा करने के बावजूद फण्ड अवेलेबल न होने के कारण अपग्रेड नहीं हो पाए हैं ?

चौ0 बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास किसी भी स्कूल को अपग्रेड करने का मामला पैण्डिंग नहीं पड़ा हुआ है। जो स्कूल नॉर्म्ज पूरे नहीं करते थे, उनको हमने लिख दिया है कि आप नॉर्म्ज पूरे करके हमें इन्फॉर्म कर दें तो हम उस मामले पर कंसीडर कर लेंगे।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अभी जो नॉर्म्ज मंत्री जी ने बताएं हैं और जो स्कूल वे नॉर्म्ज पूरा कर रहे हैं क्या उनको ये अपग्रेड करेंगे। इसके अलावा जो स्कूलों के नाम अपग्रेड करने के लिए कहे गए थे और वे नॉर्म्ज पूरे नहीं करते हैं तो क्या सरकार के पास उनके नॉर्म्ज पूरे करने के लिए कोई प्लान विचाराधीन है।

चौ0 बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो नॉर्म्ज पूरे नहीं करते हैं और इनको अपग्रेड कर दिया गया था तो हमने उनको नॉर्म्ज पूरे करने के लिए कहा हुआ है और जब वे नॉर्म्ज पूरे कर लेंगे तो हम उनके मामले को कंसीडर करेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये जो स्कूलों का दर्जा बढ़ाते हैं और गांवों में भी 10+2 का दर्जा बढ़ाते हैं तो वहां पर साईंस स्ट्रीम बढ़ा दी जाती है लेकिन वहां पर साईंस से रिलेटिड जो फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए, लैबोरेटरीज होनी चाहियें, वे नहीं होती हैं तो इससे अपग्रेडेशन का कोई फायदा नहीं होता है। क्या आप इस बारे में भी कुछ करेंगे ताकि शिक्षा के स्तर में कोई गिरावट न आए। वहां पर पूरे अध्यापक हों, लैबोरेटरीज हों और जो भी सुविधाएं होनी चाहिएं वे भी हों । क्या सरकार ये फैसिलिटीज देने के बारे में भी विचार कर रही है ?

चौ0 बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि जहां जहां पर स्कूलों में साईंस स्ट्रीम दी जाती है वहां वहां पर पूरी कोशिश की जाती है कि स्टाफ भी हो और लैब भी हो। इन्होंने इस मामले में एक और सवाल पूछा है जिसका मैंने डिटेल में जवाब दिया है। फिर भी अगर इनको इस बारे में कोई और दिक्कत हो तो ये मुझसे मिल लें मैं इनको बता दूंगा।

चौ0 लीला कृष्ण : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में नॉर्म्ज में थोड़ी बहुत ढील देने के लिए तैयार है या नहीं, क्योंकि सरकार दृढ़ संकल्प है कि ऐजूकेशन बढ़े।

चौ0 बहादुर सिंह : स्पीकर सर, ऐसा है कि हमने इस बारे में नॉर्म्ज बनाकर हाई कोर्ट को भेजे हुए हैं और हाई कोर्ट में इस केस की तारीख 15-3-2001 लगी हुई है। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट इस बारे में क्या फैसला देता है।

प्रो0 राम भगत : अध्यक्ष महोदय, स्कूलों के अपग्रेडेशन की बात चल रही है। मैं माननीय मंत्री जी का और सरकार का ध्यान लड़कियों के स्कूलों की तरफ विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं। लड़कियों के जो स्कूल अपग्रेड होते हैं उनको वहां आने-जाने में बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि बसिज में काफी भीड़ होती है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार

लड़कियों को सही पढ़ाई की व्यवस्था प्रदान करने के लिए स्कूलों के अपग्रेडेशन के साथ-साथ वहां पर होस्टल की भी सुविधा की व्यवस्था कर रही है या नहीं ?

चौ0 बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, लड़कियों के स्कूलों में होस्टल बनाना इस समय तो विचाराधीन नहीं है। लेकिन अगर कहीं से कोई डिमांड आएगी तो फिर विचार कर लिया जाएगा।

Construction of School Rooms

***258. Sh. Nafe Singh Rathi :** Will the Minister of State for Education be pleased to state the number of School Rooms constructed by HRDF in the State during the period from August, 1991 to 24th July, 1999 and from August, 1999 to 25th December, 2000 togetherwith the number of those which are under construction ?

चौ0 बहादुर सिंह (शिक्षा राज्य मंत्री) :हरियाणा ग्रामीण विकास फण्ड द्वारा अगस्त, 1991 से जुलाई, 24, 1999 की अवधि में 2396 कमरों का निर्माण करवाया गया है और अगस्त, 1999 से 25 दिसम्बर, 2000 तक की अवधि में 834 कमरों का निर्माण करवाया गया है। 122 कमरे निर्माणाधीन हैं।

श्री नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि सरकार की जो विकास की गति है वह बहुत तेज है और काम भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। जैसा मंत्री जी ने अपनी रिप्लाई में आंकड़े देकर बताया है कि पिछली दोनों सरकारों के समय में यानी अगस्त, 1991 से 24 जुलाई, 1999 तक 2396 कमरे बने हैं और इस सरकार के समय यानी अगस्त, 1999 से 25 दिसम्बर, 2000 तक 834 कमरे बने हैं और 122 कमरे बनाने पर काम जारी है। अध्यक्ष महोदय, अगर इनकी रेशो देखी जाए तो पता लगेगा कि पिछली दोनों सरकारों के समय में 373 कमरों की रेशो आती है और इस सरकार के समय की 956 कमरों की रेशो आती है जो कि बहुत ज्यादा है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 25 दिसम्बर, 2000 तक के तो आंकड़े इनके पास हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में आज तक की तारीख तक की भी फिगर्ज इनके पास हैं या नहीं और अगर हैं तो क्या ये उन फिगर्ज को भी बताने की कृपा करेंगे ?

चौ0 बहादुर सिंह: स्पीकर सर, इस तरह की अप-टू-डेट फिगर्ज तो इस समय मेरे पास नहीं हैं। यह फिगर्ज इनको बाद में बता दी जाएंगी।

डॉ0 रघुबीर सिंह कादयान : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एच0 आर0 डी0 एफ0 का जो पैसा है उसमें से कितना परसैंटेज इस हैड में स्कूलों के कमरों के बनाने में लगा और कितनी परसैंटेज में यह पैसा रोड़ज बनाने में लगा ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आपका यह सवाल ही नहीं बनता है इसलिए आप बैठें ।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, डॉ0 साइब का भी कसूर नहीं है क्योंकि ये ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं इसलिए ये ऐसी बातें कह रहे हैं।

डॉ0 रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : अब डॉ0 साहब जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा, जैसा इन्होंने कहा कि इतने कमरे राज्य के अन्दर बना रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जो कमरे शिक्षा विभाग द्वारा बनाए जाते हैं एक तो मेहरबानी करके उस कमरे के ऊपर कितना पैसा खर्च होता है और दूसरा उन कमरों की कितनी लम्बाई , चौड़ाई और ऊंचाई होती है इसके अलावा मेरा अगला सवाल यह है कि क्या मंत्री महोदय, इसी पैसे को ग्राम पंचायत को सौंपने पर विचार करेंगे या गांव के जो मौजूदा अच्छे लोग हैं उनकी कमेटी बनाई है मेरा निवेदन है कि उनको पैसा दे दें और वे लोग ये कमरे बनाएं क्या सरकार का ऐसा कोई विचार है, इसके बारे में जानकारी दें ?

श्री अध्यक्ष : बैठिए, दलाल साहब, आपका बहुत लम्बा सवाल हो गया।

चौ0 बहादुर सिंह : यह प्रश्न अलग है इसके बारे में लिखकर दे दें, अलग से जवाब दे दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठिए, अगर आप यह पूछेंगे कि मजदूर कितने लगते हैं यह बताना मंत्री के लिए मुश्किल है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन ऑवर में मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में सदन को सन्तुष्ट करने का प्रयास किया है। बहुत पहले स्कूलों में कमरे बनाने के लिए मैचिंग ग्रांट पोलिसी थी, मैं यह जानना चाहूंगा कि स्कूलों में कमरे बनाने के लिए मैचिंग ग्रांट स्कीम का प्रावधान था क्या वह अब भी ऐगजिसटेंस में है, यदि हां तो उसके क्या नॉर्म्ज हैं और उसके लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी होती हैं।

चौ0 बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मैचिंग ग्रांट स्कीम आज भी लागू है और जो स्कूल के कमरे बनाने होते हैं उनमें यदि लड़कों के स्कूल के लिए कमरे बनाने हों तो स्कीम के तहत डबल पैसा मिलता है और यदि लड़कियों के स्कूल के लिए बनाने हों तो तीन टाइम पैसा दिया जाता है यह प्रावधान चल रहा है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : टोटल जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कमरे की है जैसे एक लाख में हाल बनता है उसमें कितना देना पड़ेगा यह बताएं ?

चौ0 बहादुर सिंह : इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है जितने कमरे बनाना चाहते हैं उतने के बारे में बताने पर ही इसकी जानकारी दी जाती है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : स्कूल रूम में उसकी प्रिसक्राइब लम्बाई-चौड़ाई होती है एक लाख रुपये में हाल बनता है।

श्री अध्यक्ष : बिसला साहब पूछने की जरूरत क्या रही, आपको इसका पता है और दलाल साहब को भी पता है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हमें और आपको तो पता है लेकिन क्या शिक्षा मंत्री जी को इस बारे में पता है । (हंसी)

तारांकित प्रश्न संख्या 378

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य राव दान सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे)

Laying of Optical Fibre Network

***300. Shri Rajinder Singh Bisla** : Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government has formulated any policy for providing ROW for Laying Optical Fibre Network covering the last mile linkage in the State ; if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां श्रीमान जी, राज्य सरकार ने राज्य में अन्तिम छोर तक आपटिक फाईबर नेटवर्क बिछाने हेतु मूलभूत ढांचा प्रदानकर्ताओं तथा बुनियादी सेवा लाईसैंसधारकों को मार्गाधिकार प्रदान करने के लिए मार्गाधिकार (आर0 ओ0 डब्ल्यू0) नीति बनाई है। विस्तृत विवरण सहित कथन सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं।

मार्गाधिकार (आर0 ओ0 डब्ल्यू0) की अनुमति बिना किसी एकाधिकार के आधार पर

मार्गाधिकार (राईट आफ वे) की अनुमति बिना किसी एकाधिकार के किसी भी मूलभूत ढांचा प्रदानकर्ता (वर्तमान या भविष्य) को निशुल्क दी जायेगी । मार्गाधिकार की अनुमति की वैधता की अवधि दूरसंचार विभाग द्वारा प्रदान किये गये लाईसैंस/पंजीकरण जैसी भी स्थिति हो, की वैधता से संबंधित होगी।

लेकिन ऐसे आवेदक मूलभूत ढांचा प्रदानकर्ताओं को जिन्हें मूलभूत ढांचा प्रदानकर्ता के रूप में लाईसैंस अथवा पंजीकरण (जैसी भी स्थिति हो) प्राप्त नहीं है, उन्हें राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि आवेदक ने लाईसैंस /पंजीकरण करवाने से सम्बंधित कार्यवाही की है अथवा उचित कार्यवाही कर रहा है, इच्छा पत्र (Loi) इस शर्त पर प्रदान करेगी कि कम्पनी इच्छा पत्र के जारी होने के 90 दिन के भीतर आवश्यक लाईसैंस अथवा पंजीकरण (जैसी भी स्थिति हो) दूरसंचार विभाग से प्राप्त कर लेगी तथा मूलभूत ढांचा प्रदानकर्ता द्वारा किया गया कोई भी कार्य उसके अपने खर्चे तथा जोखिम पर होगा। इसके अतिरिक्त यह अनुमति दूरसंचार विभाग द्वारा इस संबंध में लगाये गये नियम, कानून, अधिनियम इत्यादि के अनुसार ही होगी।

1. मूलभूत ढांचा प्रदानकर्ता द्वारा निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा—

1.1 अन्तिम छोर तक पहुंच (विश्वसनीय संधार सम्पर्क सभी गांवों तक प्रदान करना)

प्रत्येक मूलभूत ढांचा प्रदानकर्ता द्वारा संचार सम्पर्क दूरसंचार विभाग अथवा किसी अन्य अधिकृत प्राधिकरण द्वारा हरियाणा सर्कल के बुनियादी सेवा लाईसैंस में दर्शाए गए रोलआउट प्लान के अनुसार ही किया जाएगा।

1.2 राज्य सरकार एवं इसकी निकायों को निशुल्क बैंडविड्थ प्रयोग करने की सुविधा

प्रत्येक मूलभूत ढांचा प्रदानकर्ता राज्य सरकार, उसके विभागों, बोर्डों, निगमों और एजेन्सियों आदि को उनके उपयोग के लिए निशुल्क बैंडविड्थ/समर्पित

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

आप्टिक फाइबर की व्यवस्था उस सीमा तक जो राज्य सरकार समय समय पर निर्धारित करेगी, स्वयं प्रदान करेगा अथवा उपलब्ध करवायेगा। वर्तमान में ये निशुल्क बैंडविडथ 8 एम0 बी0 पी0 एस0 8 नोड्स के साथ राज्य मुख्यालय में 4 एम0 बी0 पी0 एस0 6 नोड्स के साथ सभी जिला मुख्यालय में, 2 एम0 बी0 पी0 एस0 2 नोड्स के साथ सभी उपमंडल/तहसील/ ब्लाक तथा एक समर्पित विश्वसनीय संचार लिंक हर गांव तक प्रदान किये जाएंगे। इसके अलावा जहां सरकार चाहेगी वहां भी मूलभूत ढांचा प्रदानकर्ता को नोड्स उपलब्ध कराने होंगे।

1.3 कैशलैस इक्विटी

प्रत्येक मूलभूत ढांचा प्रदानकर्ता द्वारा राज्य की किसी एक पदनामित संगठन को 10 प्रतिशत कैशलैस इक्विटी बैकबोन स्थापित करने वाली कम्पनी में दी जाएगी। यह कैशलैस इक्विटी समय-समय पर उसी अनुपात में उपलब्ध करवाई जायेगी जितना शेयर कैपिटल होगा। यह कैशलैस इक्विटी सभी प्रकार से निशुल्क इक्विटी होगी। इसके लिए मूलभूत ढांचा प्रदानकर्ता द्वारा करारनामा राज्य के पदनामित संगठन के साथ पृथक् रूप से साइन किया जाएगा। राज्य सरकार बैकबोन स्थापित करने वाली कम्पनी में कम से कम एक निदेशक नामांकित करेगी ।

1.4 अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी

प्रत्येक मूलभूत ढांचा प्रदानकर्ता द्वारा राज्य सरकार को उसकी आवश्यकतानुसार अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी तथा बैंडविडथ, जब भी यह स्थापित की जाएगी, इसे राज्य के उपयोग के लिये बिना हानि व लाभ के आधार पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

1.5 सूचना किओस्क

मूलभूत ढांचा प्रदानकर्ता द्वारा राज्य में 1500 सूचना किओस्क, फ्रेनचाईज व बिजनेस मॉडल के रूप में स्थापित किये जाएंगे। ये किओस्क सरकार तथा आम जनता द्वारा सरकार से जनता तक और जनता से सरकार तक आपसी सम्पर्क/तालमेल और आम जनता की रूचि की सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु कार्य करेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार तथा आवेदक मूलभूत ढांचा प्रदानकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से एक उचित बिजनेस मॉडल तैयार किया जाएगा।

1.6 विडियो कॉन्फ्रैंसिंग

मूलभूत ढांचा प्रदानकर्ता द्वारा राज्य सरकार को सरकार के उपयोग के लिए विडियो कॉन्फ्रैंसिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करनी होगी। यह सुविधा मूलभूत ढांचा प्रदानकर्ता द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी सचिवालय द्वारा उल्लेखित किसी एक स्थान पर निशुल्क प्रदान की जायेगी। मूलभूत ढांचा प्रदानकर्ता तथा

राज्य सरकार द्वारा इन सेवाओं इत्यादि का स्तर आपसी सहमति से तय किया जाएगा जिस पर लगभग 15 लाख रुपये का निवेश होगा।

2. इस नीति के अन्तर्गत मार्गाधिकार की अनुमति प्राप्त करने के लिए राज्य में दूरसंचार सेवायें प्रदान के इच्छुक बुनियादि सेवा लाइसेंसधारक को एक मूलभूत ढांचा प्रदानकर्ता वर्ग-1 अथवा मूलभूत ढांचा प्रदानकर्ता वर्ग-2 के रूढांचा ढांचा इस मूलभूत ढांचा प्रदानकर्ता द्वारा उस बुनियादी सेवा लाइसेंसधारक को बेचा जायेगा, या पट्टे पर अथवा किराये पर दिया जायेगा। इस प्रकार निशुल्क मार्गाधिकार की अनुमति बुनियादी सेवा लाइसेंसधारक को मूलभूत ढांचा प्रदानकर्ता के माध्यम से बिना किसी एकाधिकार के प्रदान की जायेगी। मार्गाधिकार की अनुमति की अवधि दूरसंचार विभाग द्वारा प्रदान किये गये लाइसेंस/पंजीकरण जैसी भी स्थिति हो, की वैधता की अवधि के साथ ही समाप्त होगी।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राइट ऑफ वे और यह जो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर होते हैं क्या राज्य सरकार ने इसकी जो पॉलिसी निर्धारित की है वह भारत सरकार के जो नॉर्म्स होते हैं या उनके दिशा निर्देश होते हैं उनके तहत की है या अलग से इंडिपैंडेंट पॉलिसी बनाई हैं ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : भारत सरकार के दिशा निर्देशन में यह पॉलिसी बनाई गई है और आपको इस बात का पता भी होगा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर जिस प्रकार से एक और दो हैं उनकी अवधि वैसे भी भारत सरकार द्वारा तय होगी, वही हरियाणा प्रदेश की सरकार का टेन्योर उनको दिया जाएगा। इसी प्रकार से उनकी कोई लाइसेंस की नीति है इसको भी उसमें मद्देनजर रखा गया है।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी महोदय, से जानना चाहूंगा कि राइट ऑफ वे दिये जाने से जनता या सरकार को क्या फायदा होगा, स्थिति स्पष्ट करें।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, राइट ऑफ वे ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम सड़क का रास्ता देते हैं। इसी प्रकार से तारें बिछाने, केबल, टैलीफोन, इंटरनेट, डाटा सभी प्रकार की उन्हीं तारों से ऑप्टिकल से सुविधा होगी। इस नीति के तहत जहां सरकार के आर्थिक विकास की गति में तीव्रता आयेगी वहीं अच्छा प्रशासन भी प्रदान किया जायेगा। इस नीति के माध्यम से दुरस्थ शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा एवं बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैय्या करवाये जायेंगे। अंतिम छोर तक यानि सभी गांवों तक इस प्रकार के संचार सम्पर्क प्रदान करेंगे। सरकार को इस से काफी फायदा होगा और इसके अलावा राज्य सरकार एवं इसकी निकायों को निशुल्क बैंडविड्थ प्रयोग करने की सुविधा दी जायेगी। जिसमें राज्य सरकार का 10 प्रतिशत इक्विटी शेयर होगा। जो भी कम्पनी आयेंगी उनसे सरकार को दस प्रतिशत शेयर मिलेगा। इस नीति के अन्तर्गत मूलभूत ढांचा प्रदानकर्ता द्वारा राज्य में 500 सूचना कओस्क फ्रैन्चाईज व बिजनैस मॉडल के रूप में स्थापित किये जायेंगे। इस नीति के तहत एक सैंटर पर एक या दो व्यक्तियों को रोजगार भी दिया जायेगा। वीडियो कॉफ्रैंस जैसी सुविधा उस कम्पनी द्वारा दी जायेगी जहां पर सरकार डिमारकेशन करेगी उस स्थान पर यह सुविधा मुहैय्या उस कम्पनी द्वारा प्रदान की जायेगी। इससे आम जनता को फायदा होगा और सरकार को भी फायदा होगा। जनता और सरकार का आपसी

[श्री रामपाल माजरा]

सम्पर्क/तालमेल बढ़ाने के लिए गांवों को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ा जायेगा और आम जनता की रूचि की सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु कार्य करेगें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार तथा आवेदक मूलभूत ढांचा प्रदानकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से एक उचित बिजनेस मॉडल तैयार किया जायेगा। मूलभूत ढांचा प्रदानकर्ता द्वारा राज्य सरकार को सरकार के उपयोग के लिए विडियो कॉफ्रेंसिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। आम जनता इस नीति के तहत गांव के लोगों को तथा किसानों को मौसम की जानकारी तथा आधुनिक बीजों के बारे में और फसल को बढ़ावा देने के बारे में जानकारी दे पायेगी। जिससे गांवों में आर्थिक विकास की गति में तीव्रता आयेगी। और अनेक प्रकार की जानकारी सरकार जनता से ले सकेगी और जनता सरकार से ले सकेगी इस प्रकार सरकार द्वारा बनाई गई अनेक पोलिसीज की जानकारी जनता को प्राप्त हो सकेगी। इस नीति के अन्तर्गत मार्गाधिकार की अनुमति प्राप्त करने के लिए राज्य में दूरसंचार सेवायें प्रदान करने के इच्छुक बुनियादी सेवा लाइसेंसधारक को एक मूलभूत ढांचा प्रदानकर्ता वर्ग 1 और मूलभूत ढांचा प्रदानकर्ता वर्ग 2 के रूप में अलग कम्पनी का गठन करना होगा। इस नीति से सरकार और जनता में आपसी तालमेल होगा। सरकार जनता से सूचना प्राप्त कर सकेगी और जनता सरकार से सूचना प्राप्त कर सकेगी। राज्य सरकार को अच्छा प्रशासन प्रदान करने में सुविधा मिलेगी। इसके अलावा गांवों में दूर-संचार के केन्द्र स्थापित किये जाएंगे और जहां तक टेलीफोन सुविधा देने की बात है। अच्छे ढंग की टेलीफोन सुविधा जनता को मिलेगी। जिस ढंग से अब दूर के टेलीफोन की आवाज अच्छे ढंग से सुनाई नहीं देती वह अच्छे ढंग से सुनाई देने लगेगी और इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी और सरकार को भी काफी राहत मिलेगी।

Upgradation of Schools in Bhiwani

***472. Shri Shashi Parmar :** Will the Minister of State for Education be pleased to State :—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government Primary School, Sirsa-Ghogra and Baund Kalan to Middle School in Mundhal, constituency of district Bhiwani ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Schools are likely to be upgraded ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ0 बहादुर सिंह) :

(ए) राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिरसा घोगड़ा को स्तरोन्नत करने का मामला विचाराधीन है परन्तु राजकीय प्राथमिक पाठशाला बौन्द कलां का मामला विचाराधीन नहीं है।

(बी) जैसे ही बजट उपलब्ध किया जायेगा विद्यालय को स्तरोन्नत कर दिया जायेगा।

श्री शशि परमार : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्कूलों को अपग्रेड करने की बात है जो नॉर्म्ज स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए बनाये गये हैं उनके तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने यह तय किया है कि पूरे प्रदेश में बगैर किसी भेदभाव के जहां पर जरूरत है वहां सभी स्कूलों को अपग्रेड किया जाये और यह बहुत अच्छी प्रथा है। हमारे मुंढाल क्षेत्र में ढाणी गांव में

एक स्कूल है और वह प्राईमरी स्कूल है। वह मेन रोड पर न होकर मेन रोड से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि उस स्कूल को मिडिल स्कूल में अपग्रेड किया जाए। इसी तरह सहगांव में हमारे इलाके के सेठ ने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रखी है और वह कई सालों से खाली पड़ी है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उस बिल्डिंग में प्राईमरी स्कूल खोल दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह हमारे अपने चांग गांव में लोर्ड स्वराजपाल जो कि चांग गांव से ही थे, ने अपनी यादगार में कई सालों से ए0 पी0 जे0 प्लस टू का स्कूल बनाया हुआ है लेकिन उसको पी0डब्ल्यू0डी0 रिपोर्ट में नहीं लिया गया है, उसकी छत वगैरह गिरने को है, इसमें उसको भी ले लिया जाए ताकि उसकी देखभाल हो सके।

चौ0 बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इन्होंने जिन स्कूलों के नाम लिए हैं, उनका प्रस्ताव भिजवाएं, उसके बाद उन पर गौर किया जाएगा। नॉर्म्ज वगैरह देखकर इस पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं और सरकार ने स्पष्ट फैसला ले लिया है कि हाई कोर्ट के निर्देशानुसार जो स्कूल नॉर्म्ज पूरे करते हैं, उनका दर्जा बढ़ा दिया जाएगा। मैं शिक्षा राज्य मंत्री से जानना चाहूंगा कि जिन पंचायतों और जिन स्कूलों के नॉर्म्ज पूरे होकर आ गए हैं उनका दर्जा कब तक बढ़ा दिया जाएगा ?

चौ0 बहादुर सिंह : जिन स्कूलों के नॉर्म्ज पूरे हैं और उनके प्रस्ताव हमारे पास आए हैं, वे सारे विचाराधीन हैं। बजट में प्रोविजन होने के बाद उनका दर्जा बढ़ा दिया जाएगा।

श्री रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि एच0 आर0 डी0 एफ0 स्कीम के तहत जिन स्कूलों में कमरे बनाने की कॉस्ट एक लाख 7 हजार रुपये आती है इसके अलावा डी0 पी0 पी0 स्कीम के तहत एक लाख 37 हजार रुपये आती है। जिन स्कूलों में कमरों का अभाव है, क्या शिक्षा मंत्री डी0 पी0 पी0 स्कीम के तहत या एच0 आर0 डी0 एफ0 स्कीम के तहत उन स्कूलों के कमरे बढ़ाकर नॉर्म्ज की शर्तें पूरी करने की कोशिश करेंगे ?

चौ0 बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि ये अपनी डिमाण्ड दे दें, उसके बाद विचार कर लिया जाएगा कि कौन से स्कूल में कितने कमरों की कमी है ? उसके मुताबिक एच0 आर0 डी0 एफ0 या डी0 पी0 पी0 स्कीम के तहत कमरे बनवाने का प्रयास किया जाएगा।

श्री शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से जानना चाहूंगा कि सरकार शिक्षा पर काफी जोर दे रही है उसके बावजूद भी बहुत से स्कूल जो 1947 में प्राईमरी स्कूल थे वे आज तक भी प्राईमरी स्कूल हैं, उनको मिडिल तक का भी दर्जा नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : शेर सिंह जी आप नॉर्म्ज की बात करें।

श्री शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं स्कूलों के अपग्रेडेशन की ही बात कर रहा हूं। 1947 में जो प्राईमरी स्कूल थे, आज भी वे प्राइमरी स्कूल हैं, क्या सरकार उनके लिए सर्वे करवा रही है। जनसंख्या भी उन गांवों की बढ़ चुकी है। उन स्कूलों को अपग्रेड करने की जरूरत है।

चौ0 बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को कहना चाहूंगा कि 1947 से पहले या बाद के स्कूलों की बात नहीं है। जिस गांव में जरूरत है वहां की पंचायत या गांव के मौजूदा लोग डिमाण्ड भेजते हैं कि हमारे यहां के स्कूल को अपग्रेड करने की जरूरत है। जिस गांव के लोगों या पंचायत की डिमाण्ड आती है, उस पर विचार किया जाता है। ऐसा कोई हल्का नहीं है जहां के स्कूल को अपग्रेड न किया गया हो। मैरिट के आधार पर जो भी स्कूल अपग्रेडेशन के लिए आते हैं उनको कंसीडर करके अपग्रेड किया जाता है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आज सारे प्रश्न काल का मोर दैन फिफ्टी परसैंट समय स्कूलों के अपग्रेडेशन के बारे में रहा है। सारा सदन इससे चिन्तित हैं। जहां हमारी सरकार हर वर्ग के सुधार के लिए अच्छी-अच्छी नीतियां निर्धारित कर रही है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि इसके बारे में कोई पोलिसी बनाई जाए, जिसके तहत जहां स्कूल अपग्रेड नहीं किए गए हैं, वहां स्कूल अपग्रेड किए जाएं ताकि सारी स्टेट के लोगों को अपग्रेडेशन का पूरा लाभ मिल सके।

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य का प्रश्न बहुत अहम है। इस बारे में सम्मानित सदस्य को जानकारी लेने के लिए ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चौधरी बंसी लाल जी इनके पास ही बैठे हैं ये उन्हीं से जानकारी ले लेते। मैं मेरे माननीय साथी बिसला जी को बताना चाहूंगा कि चौधरी बंसी लाल जी ने जाते-जाते 380 स्कूलों को अपग्रेड कर दिया था जैसे कोई दौड़ लगी हो और दोबारा आने की संभावना न हो। उसका परिणाम यह निकला कि कुछ लोग कोर्ट में चले गये और कोर्ट ने स्कूल अपग्रेड करने के कुछ नॉर्म्ज फिक्स कर दिए। जिनके बारे में शिक्षा मंत्री जी ने अभी डिटेल में बताया था इसलिए मुझे इस बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने जो नॉर्म्ज फिक्स किये हैं उन्हें पूरा करने में गांव और शहर के लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि बाढ़ के कारण जिन स्कूलों में नुक्सान हुआ था वहां पर पहले वाली सरकार ने तो ध्यान नहीं दिया लेकिन अब हमारी सरकार जहां-जहां नुक्सान हुआ था, वहां मुरम्मत करवा रही है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार स्कूलों में कमरे भी बनवा रही है। जैसे पहले वाले प्रश्न के जवाब से सदन को तसल्ली हुई होगी कि पिछली दोनों सरकारों की तुलना में हमारी सरकार ने ऐवरेज 3 गुना ज्यादा कमरे स्कूलों में बनवाये हैं।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, स्कूल में कमरे तो गांव के लोगों की तरफ से बनाये जा रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे माननीय साथी चौधरी भजन लाल जी को बताना चाहूंगा कि इनकी सरकार के0 बी0 सी0 की सरकार थी और जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार ए0 बी0 सी0 की सरकार है और जनता की तरफ पूरा ध्यान दे रही है। स्कूलों में कमरे हमारी सरकार की तरफ से बनाये जा रहे हैं। हमारी सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कमरे स्कूलों में बनवाये जायें। हमने एक मुश्त 6-6 कमरे भी एक स्कूल में बनवाये हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुक्सान न हो और स्कूलों की चार दिवारी भी करवाई है। इसके अतिरिक्त जहां पर 1/4 हिस्सा जमीन गांव की तरफ से मिल जायेगी तो 3/4 हिस्सा जमीन हमारी सरकार अपनी तरफ से देकर वहां पर स्टेडियम भी

बनवायेगी। कई जगह पर समस्या यह है कि ग्राम पंचायत के पास जमीन नहीं है और वे नॉर्म्ज को पूरा करने के लिए 3 एकड़, 4 एकड़ या 6 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है उसे पूरा नहीं करती। उन गांवों में भी हमारी सरकार ईमानदारी से शिक्षा का स्तर बढ़ाने का प्रयास कर रही है और इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहेगी कि वहां पर शिक्षा का स्तर बढ़े। हमारी सरकार बच्चों को पढ़ाई के लिए हर सुविधा प्रदान करेगी। हमने जो नई शिक्षा नीति लागू की है उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि हर 6 साल से 14 साल के बच्चे को अच्छे ढंग से शिक्षा मिल सके। इससे जाहिर होता है कि हमारी सरकार चाहती है कि जो गांव नार्म्ज पूरे करते हैं उन सभी गांवों में मिडिल लैवल तक की शिक्षा उपलब्ध हो सके। मैं पूरे सदन को और हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जो नीति सरकार ने तय की है उससे सभी को तसल्ली मिलेगी और हम चाहते हैं कि वह नीति सिरे चढ़े और दूसरे प्रदेशों की सरकारें भी उसका अनुसरण कर सकें, ताकि हरियाणा का नाम हो।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने सारे सदन की भावनाओं का आदर और सम्मान किया। (शोर एवं व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या-365

(इस समय माननीय सदस्य श्री जगजीत सिंह सांगवान सदन में मौजूद नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

Bridge over Drain No. 8

*** 476 Shri Ram Kuwar Saini :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the bridge over the Drain No. 8 at Panipat-Gohana road near Gohana is in dilapidated condition; and

(b) if the information at 'A' above be in affirmative whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new bridge of double lane; if so, the time likely to be taken for its construction ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राम कुंवार सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि हमारे यहां गोहाना के नजदीक पानीपत-गोहाना सड़क पर ड्रेन नं0-8 का पुल जर्जर हालत में है। इस पर पुनः विचार करके जल्दी से जल्दी बनवाने की कृपा करें।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : अध्यक्ष महोदय, पानीपत-गोहाना सड़क का पुल राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर है और वैसे भी यह पुल भूतल परिवहन मंत्रालय के अंडर है। इसकी रिपोर्ट मांगी गई थी। उस रिपोर्ट में पाया गया है कि यह पुल बिलकुल ठीक हालत में है। एक एक्सीडैंट में इस पुल के पैरापिट वगैरह टूट गये थे, वे ठीक करवा दिये गये हैं। इस पुल की ऐसी खराब स्थिति नहीं है कि इसे दोबारा से बनवाया जाये।

श्री रणवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माजरा साहब से जानना चाहूंगा कि यह पुल बहुत भीड़ा है जिसकी वजह से वहां पर दुर्घटनाएं होने का खतरा रहता है। पहले भी वहां पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं इसलिये मेरा आपके माध्यम से सरकार से और मंत्री जी से अनुरोध है कि इस पुल को चौड़ा करने पर विचार करें।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, यह पुल 8 महराव वाला है जिसमें प्रत्येक की लम्बाई 4.2 मीटर है तथा 6.70 मीटर चौड़ा रास्ता है। जो इतना चौड़ा पुल है। इसका स्टैण्डर्ड नोर्म्ज के मुताबिक ठीक है। अभी यह पुल ठीक-ठाक है इसलिये इसको चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। इसके कुछ पैरापिट्स टूट गये थे जिन्हें ठीक कर दिया गया है।

Laying of Sewerage Treatment Plants

***324 Shri Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of cities covered for laying sewerage treatment plants under Yamuna Action Plan in the State of Haryana ; and

(b) the detail of amount spent on the above said project.

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) मल व्यवस्था शोधन संयन्त्र (सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट) लगाने के लिए यमुना एक्शन प्लान के अर्न्तगत 12 शहर लिये गए ।

(ख) इस परियोजना पर 198.83 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं, जिनका शहर अनुसार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

क्रमांक	शहर का नाम	खर्च 1/2001 तक
		(रुपये करोड़ों में)
1.	यमुनानगर	23.39
2.	करनाल	22.41
3.	पानीपत	40.88
4.	सोनीपत	21.64
5.	गुड़गांव	18.03
6.	फरीदाबाद	63.60
7.	छछरोली	0.23
8.	रादौर	0.47
9.	इन्द्री	0.99
10.	घरौंडा	0.62
11.	गोहाना	3.02
12.	पलवल	3.55
	कुल	**198.83**

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इन्होंने जो 12 शहरों का जिक्र किया है जिनमें यमुना एक्शन प्लान के तहत सीवर डाले जाने थे, इसके लिये कितना समय मुकर्रर किया गया था ? इसके अलावा क्या मंत्री महोदय यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जो पलवल में 3.55 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं, वहां भी दो भागों में सीवरेज डलना था जिसमें से पहला पार्ट तो पूरा होने को है लेकिन दूसरे पार्ट का अभी तक भी टैण्डर नहीं हुआ है। दूसरे पार्ट का टैण्डर कब तक हो जाएगा ? इसके अतिरिक्त सीवरेज डालते वक्त जो सड़कें टूट गई उन सड़कों के निर्माण के लिये भी इसी पैसे में कुछ पैसा रखा गया है या नहीं ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : स्पीकर सर, जिस प्रकार से यमुनानगर, करनाल, जगाधरी, पानीपत, सोनीपत, गुड़गावां और फरीदाबाद में 12 मल उपचार केन्द्र बनने थे जिनमें से 10 बन चुके हैं, बाकी का एक मल उपचार केन्द्र भी छः महीने में बन जाएगा। जहां तक पलवल का सवाल है इसका एस्टीमेट रिवाइज हुआ है। यहां तक इसमें चार और छोटे शहर भी शामिल किये गये हैं उनका भी एस्टीमेट सैंक्शन हो चुका है। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से न सिर्फ सम्मानित सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल को बल्कि पूरे सदन को यह बताना चाहूंगा कि यमुना एक्शन प्लान के तहत जहां-जहां भी सीवरेज सिस्टम बनाये गये हैं उनके पीछे केन्द्र सरकार की मुख्य सोच यह थी कि यमुना के पानी को स्वच्छ और पवित्र रखा जा सके। उसके लिये शुरु-शुरु में 50 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार की ओर से तथा 50 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार की ओर से खर्च की जा रही थी। बाद में उसमें संशोधन कर दिया गया है और शतप्रतिशत राशि केन्द्र सरकार की तरफ से खर्च की जा रही है। इसीलिये माजरा साहब बता भी रहे थे कि यमुना एक्शन प्लान के तहत 12 जिलों में यह सुविधा हासिल करने के लिये हम प्रयासरत हैं। सम्मानित साथी ने पिछली दफा भी यह प्रश्न दूसरी शक्ल में प्रस्तुत किया था और उस वक्त भी इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। हम आज भी इस कोशिश में हैं कि यह काम जल्दी हो। इस काम में समय तो लगेगा क्योंकि गहरे 15.00 बजे गड्ढे भी खोदने पड़ते हैं, कई जगह लैंटर भी डाले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी यह मंशा है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सीवरेज सुविधा मिल सके। हम इसके प्रयास करने भी जा रहे हैं। हमारी घग्गर नदी का जल भी दूषित होता जा रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश और दूसरे प्रदेश उसमें गंदा पानी डाल रहे हैं। हमारी सरकार यमुना एक्शन प्लान की तर्ज पर घग्गर नदी से भी गंदगी की सफाई करने की कोशिश करेगी ताकि हमारी नदियां स्वच्छ हों और पवित्र हों और हमारे आबपाशी के साधन ठीक हों तथा लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल सके। हम पूरी तरह से इस कोशिश में हैं। सरकार पलवल का ही नहीं यमुना एक्शन प्लान के तहत चयनित 12 शहरों में जल्दी ही सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट लगाने का काम करेगी और इन जगहों पर यह कार्यक्रम चालू है सब जगहों पर जितना जल्दी सम्भव हो सका इसको मुकम्मल करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब क्वैश्चन ऑवर समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Repair of Schools in Baroda Constituency

*332. **Sh. Ramesh Kumar Khatak** : Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the Government Senior Secondary Schools, High Schools and Primary Schools buildings in the Baroda Constituency during the year 2000-2001; and

(b) whether there is any proposal of filling the vacant posts of teachers in the Department.

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ० बहादुर सिंह) :

(क) जी नहीं--नीतिगत मामला होने के कारण राशि का वितरण विधान सभा क्षेत्रवार नहीं किया जाता। मुरम्मत/रख रखाव के लिये राशि का वितरण विद्यालयों की वास्तविक मांग तथा बजट में राशि की व्यवस्था पर निर्भर करता है।

(ख) जी हां--विभाग द्वारा समय-समय पर रिक्तियां भरी जा रही हैं तथा विभाग द्वारा वर्तमान रिक्तियों को भरने बारे भी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

Completion of Minors

*337. **Sh. Balwant Singh Maina** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the construction of the following minors in Hassangarh constituency have been started—

1. Karotha Minor ;
2. Baliyana Minor ;
3. Paksamma Minor ;
4. Kisreti Minor ;
5. Sampla Minor ;
6. Maina Minor ; and

(b) if so, the time by which the said minors are likely to be completed ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) नहीं श्रीमान जी,

(ख) केवल करोथा माइनर निर्माण योजना आर० आई० डी० एफ०-I भाग-II के अन्तर्गत स्वीकृत है। इस पर 31-3-2002 तक काम सम्पन्न होने की संभावना है।

Loan from World Bank

*285. **Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government of Haryana/H.V.P.N. has made any agreement with the World Bank or any other agency for securing loan for resturcturing and reforming the power sector in order to improve the quality and quantity of power in the State during the years 1998-99, 1999-2000 and 2000-2001 till to-date ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : सदन के पटल पर विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

राज्य में बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए एक्सिलिरेटेड त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम निधि (ए0 पी0 डी0 पी0 एफ0) के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये हरियाणा सरकार ने भारत सरकार से दिनांक 13-2-2001 को एक ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किया है।

हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 1998-99 से विश्व बैंक या दूसरी किसी अन्य एजेन्सी के साथ बिजली क्षेत्र के पुनर्गठन व सुधार के लिए किसी अन्य नये समझौते, सिवाय हरियाणा परियोजना समझौता (विश्व बैंक से जनवरी 1998 में हस्ताक्षरित) में दिनांक 5-4-2000 को संशोधन करने के, पर हस्ताक्षर नहीं किये।

हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की उत्तराधिकारी कम्पनियों एच0 वी0 पी0 एन0 और एच0 पी0 जी0 सी0 ने पूर्ववर्ती हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के परियोजना सहमति को बदलने के लिए दिनांक 5-4-2000 को "अजम्पशन एण्ड प्रोजेक्ट एग्रीमैन्ट" पर हस्ताक्षर किये तथा पुनर्गठन योजना को क्रियान्वित करने के लिए हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की जिम्मेवारियां सम्भाली।

Lift Pumps on Jui and Siwani Canals

*275. **Shri Dharambir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the capacity of all the lift pumps on the Jui and Siwani Canals has decreased ; if so, whether there is any proposal of the Government to replace the said lift pumps ; and

(b) if the reply to para (a) above be in affirmative the time by which the new lift pumps will be installed both on the canals ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) हां श्रीमान जी,

(ख) सिवानी नहर प्रणाली और जुई नहर प्रणाली पर स्थापित पम्पों की क्षमता को बढ़ाने की स्कीम आर0 आई0 डी0 एफ0-1 भाग-I के अन्तर्गत पत्र क्रमांक एन0

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

बी0/एस0 पी0 डी0/आर0 आई0 डी0 एफ0-1 (हरियाणा)/31/पी0 एस0 सी0/99-2000 दिनांक 30-9-99 के द्वारा स्वीकृत हो चुकी है। इस परियोजना की 21-3-2002 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

Laying of Sewerage System in Barwala

***344. Sh. Jai Parkash :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to lay Sewerage System in Barwala City ; if so, the time by which work is likely to be started thereon togetherwith the cost therof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) सवाल ही पैदा नहीं होता।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Opening of Agriculture College

15. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a new Agricultural College in Hathin Constituency in the near future ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) : नहीं, श्रीमान्।

Senior Secondary Schools in the State

16. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) the district-wise number of Senior Secondary Schools running in rural areas and urban areas separately as on 31st December 2000 ;

(b) the number of schools out of those referred to in part (a) above in which science faculty is available as on 31st December, 2000 ; and

(c) the number of posts of school cadre lecturers of science faculty sanctioned and in position as on 31st December, 2000 in the school referred to in (b) above ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ0 बहादुर सिंह) : ए से सी तक का विवरण निम्न तालिका में है :—

(श--शहरी)

(ग--ग्रामीण)

LIBRARY

क्र0 सं0	जिला	विद्यालयों की संख्या		विद्यालयों की संख्या जहां विज्ञान विषय पढ़ाये जाते हैं		स्वीकृत पदों की संख्या विज्ञान ग्रुप		कार्यरत विज्ञान ग्रुप		
		शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	कैथल	4	35	4	12	14	36	6	9	15
2.	नारनौल	4	42	4	22	15	65	12	30	42
3.	गुड़गांव	7	40	6	22	34	86	34	86	120
4.	पंचकुला	5	17	5	7	15	21	15	14	29
5.	भिवानी	4	82	4	46	12	137	10	48	58
6.	फरीदाबाद	21	42	19	27	96	101	83	70	153
7.	सोनीपत	6	64	6	64	18	104	15	42	57
8.	हिसार	9	65	8	38	23	113	21	87	108
9.	रोहतक	5	33	5	21	21	55	20	47	67
10.	यमुनानगर	6	25	5	18	17	54	13	28	41
11.	फतेहाबाद	6	24	6	18	17	47	9	5	14
12.	जींद	6	38	5	13	17	37	16	15	31
13.	कुरुक्षेत्र	5	22	5	14	17	42	14	28	42
14.	रेवाड़ी	4	33	4	17	12	46	12	33	45
15.	पानीपत	4	21	4	6	17	15	13	8	21
16.	झज्जर	4	40	4	23	16	62	13	32	45
17.	सिरसा	9	25	6	3	18	8	14	7	21
18.	करनाल	12	37	9	16	27	46	30	20	50
19.	अम्बाला	11	34	10	14	30	42	23	19	42
	कुल	132	719	119	401	436	1117	373	628	1475

Old Age Pension

19. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister for Social Welfare be pleased to state the Districtwise number of persons which are getting old age pension in the State at present ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (चौ0 रिसाल सिंह) : राज्य में इस समय जिलावार व्यक्तियों की संख्या, जो वृद्धावस्था पैंशन ले रहे हैं, निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	जिला	वर्तमान वृद्धावस्था पैंशन ले रहे व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	अम्बाला (पंचकूला सहित)	61,530
2.	यमुनानगर	48,065
3.	कुरुक्षेत्र	40,699
4.	कैथल	52,278
5.	करनाल	57,373
6.	पानीपत	35,669
7.	सोनीपत	71,217
8.	फरीदाबाद	58,440
9.	गुड़गावां	59,342
10.	रेवाड़ी	37,208
11.	नारनौल	48,967
12.	जीन्द	67,103
13.	रोहतक	51,405
14.	झज्जर	48,746
15.	भिवानी	71,445
16.	हिसार	65,130
17.	फतेहाबाद	42,289
18.	सिरसा	55,306
	कुल	9,72,212

Construction of Distributories/Canals

20. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any New Distributories/Canals have been constructed in the State during the year 2000-2001; if so, the number thereof; and

(b) the District-wise number of Distributories/Canals if any, are still under construction togetherwith the names of such Distributories/ Canals alongwith their water capacity with source of water ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला)

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) उपरोक्त ''क'' अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

आधे घन्टे की चर्चा

Mr. Speaker : Hon'ble Members on being asked by Dr. Raghuvir Singh Kadian, M. L.A., I have allotted half-an hour for raising matters arising out of the answer to Starred Question No. 256 given by the Chief Minister on Wednesday, the 7th March, 2001, after the hour of interruption or after the conclusion of the business entered in the list of Business for Thursday, the 15th March, 2001, whichever is earlier.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएं

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, मेरे चार कालिंग अटैंशन मोशंज थे उनका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : वे चारों कालिंग अटैंशन मोशन अंडर कंसीड्रेशन हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मेरे कई कालिंग अटैंशन मोशन हैं आप उनके बारे में भी बता दें।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठ जाएं। आपका कालिंग अटैंशन मोशन नम्बर एक जो की फरीदाबाद और मेवात एरियाज में आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल और यमुना रिवर में पोल्यूटिड वाटर से सम्बन्धित था, वह अंडर कंसिड्रेशन है आपकी दूसरी कालिंग अटैंशन मोशन फरीदाबाद के मेवात एरिया में किसानों को नहरी पानी की कमी के बारे में थी, वह मैंने डिस-अलाऊ कर दी है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैंने एक कालिंग अटैंशन मोशन का नोटिस मेल-फीमेल की रेशो के बारे में दिया था, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : वह अंडर कंसीड्रेशन है।

13 मार्च, 2001 की दूसरी बैठक

वित्त मन्त्री (प्रो0 सम्पत सिंह) : स्पीकर साहब, मैम्बर्ज की इच्छा को ध्यान में रखते हुए और बजट पर डिस्कशन के लिए ज्यादा टाईम मैम्बर्ज को मिले, इस बारे में मैं एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

> सदन की दूसरी बैठक मंगलवार 13 मार्च, 2001 को 2.00 बजे मध्याह्न पश्चात् पुनः शुरु होगी तथा सांय 6.30 बजे बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the House on Tuesday the 13th March, 2001 shall have a second sitting and shall meet at 2.00 P.M. again and will adjourn at 6.30 P.M. without the question being put.

Mr. Speaker : Question is—

> That the House on Tuesday the 13th March, 2001 shall have a second sitting and shall meet at 2.00 P.M. again and will adjourn at 6.30 P.M. without the question being put.

The motion was carried.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, कालिंग अटैंशन मोशन नम्बर 6 जो बेरी टाऊन में सफाई की समस्या के बारे डॉ0 रघुबीर सिंह कादयान जी ने दिया था वह आज के लिये ऐडमिट था, अब वह कल 13 मार्च, 2001 को पहली सीटिंग में टेक-अप किया जाएगा।

बजट के तथाकथित लीकेज होने पर निर्णय

चौ0 भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही सीरियस मैटर की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि क्या कोई कैबिनेट का मंत्री और मुख्य मंत्री बजट पेश होने से पहले यह कह सकता है कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में आपकी रूलिंग चाहूंगा कि क्या चालू सत्र के दौरान कोई मंत्री या मुख्यमंत्री यह कह सकता है कि आने वाले बजट में कोई नया कर नहीं लगाया जायेगा। अगर कह सकता है तो आप इस बारे अपनी रूलिंग दें। यदि नहीं कह सकता तो फिर यह प्रिविलेज मोशन बनता है। हम जानना चाहते हैं कि क्या ये बजट को लीक कर सकते हैं ? (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इसमें लीक होने की कोई बात नहीं है। लीक होने का मतलब है कि किसी विशेष आईटम का नाम बता दिया जाये कि इस पर टैक्स लगेगा। (शोर एवं विघ्न)

चौ0 भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस मैटर है। (शोर एवं विघ्न) इस बारे में हम आपकी रूलिंग चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी तो बजट सील है। (शोर एवं विघ्न) यह तो अच्छी बात है कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या आप उम्मीद करते हैं कि टैक्स लगे ?

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, कोई मन्त्री या मुख्यमन्त्री कह सकता है कि बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया जायेगा जबकि सैशन चल रहा हो। (शोर एवं विघ्न) आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे। (शोर एवं विघ्न) यदि ये कह देते कि बंसी लाल जी ने शराब बंदी की आड़ में जो टैक्स लगाये थे उनको वापस ले रहे हैं तो बात समझ में आ जाती।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप टैक्स की उम्मीद करते हैं, क्या आप चाहते हैं कि टैक्स लगना चाहिए ? बंसी लाल जी का जिक्र होगा तो बजट का पुलिंदा जब खुलेगा तब पता लग जायेगा। (शोर एवं विघ्न) गुप्ता जी, आप तो परम्परा ठीक तरह से निभाओ। आप तो वित्त मंत्री रह चुके हैं। जब आप बजट पेश करते थे तो कोई नहीं बोलता था, आप भी बीच में बोलने के लिए खड़े हो रहे हैं। आप बजट पर कल बोल लेना।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, चाहे केन्द्र सरकार का बजट हो या किसी प्रदेश सरकार का बजट हो, वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बजट में किस चीज पर टैक्स लगेगा या किस चीज पर टैक्स नहीं लगेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। बजट की वजह से व्यापार बन्द हो जाता है। (शोर एवं विघ्न) यह बहुत सीरियस मैटर है। स्पीकर साहब, यह बहुत ही सीरियस मैटर है। बजट का बहुत बड़ा ऐक्शन/रीऐक्शन होता है। मुख्यमन्त्री ने अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए बजट पेश होने से एक दिन पहले कह दिया कि बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया जायेगा। (शोर एवं विघ्न) जब बजट को वित्त मन्त्री जी ने बन्द कर रखा है तो इसके बारे में इनको कुछ नहीं कहना चाहिए था। अगर इसके बारे में कोई कुछ कहता है तो उसके लिए प्रिविलेज मोशन बन जाता है। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसमें कोई लीकेज की बात नहीं है।

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर साहब, आप मानें या न मानें लेकिन यह बहुत सीरियस मैटर है। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इसमें कोई गलत बात नहीं है।

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस मैटर है। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इसमें किसी वस्तु विशेष का नाम देकर कोई जिक्र नहीं किया गया कि फलां आईटम पर टैक्स लगाया जायेगा या नहीं लगाया जायेगा। आप बीच में रुकावट न डालें। आप लोग बैठें। अब पार्लियामेंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर बोलेंगे।

वित्त मन्त्री (प्रो० सम्पत सिंह) **:** आप लोग बैठें तो सही, आप मेरी बात ध्यान से सुनें। (शोर एवं विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, आप अपनी रूलिंग दें कि क्या कोई बजट लीक कर सकता है या नहीं ? (शोर एवं विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, क्या कोई मन्त्री या मुख्यमन्त्री कह सकता है कि बजट में कोई टैक्स नहीं लगेगा। (शोर एवं विघ्न)

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप अपनी रूलिंग दें कि क्या ये बजट को लीक कर सकते हैं या नहीं ? (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इसमें कोई लीकेज नहीं है। इन्होंने कौन सा टैक्स लगाने की बात कह दी।

चौ० भजन लाल : स्पीकर साहब, बजट पर तो अरबों रुपये के व्यापार का मामला निर्भर होता है। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप बजट लीकेज की बात कह कर कोई बहाना न बनायें। आप पहले बजट को सुनें तो सही।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : मुझे बड़ी हैरानी है कि एक मान्यता प्राप्त विपक्षी दल एक ऐसी बात को बिना वजह तूल दे रहा है जिसका न कोई आधार है, जिसका न कोई सिर है और न कोई पैर है। अध्यक्ष महोदय, डैमोक्रेटिक सैटअप में पार्टी की पॉलिसी के तहत नीतिगत निर्णय लिये जाते हैं। हमारी पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है और प्रजातांत्रिक तरीके से चलती है।

हमारी पार्टी कोई ऐसी पार्टी नही है कि पहले तो खूंखार रैली फिर मारामार रैली, फिर ललकार रैली करे। हम लोग ऐसी कोई बात नहीं करते हैं। हम तो पॉलिसी निर्णय लेते हैं। हमें तो यह पता नहीं कि गोहाना में पहले खूंखार रैली थी, भिवानी में मारामार रैली थी अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कुछ ललकार रैली का जिक्र किया है और उसके बाद अध्यक्ष महोदय पता नहीं ये कौन सी रैली करने जा रहे हैं। यह हमें तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। अध्यक्ष महोदय इनको तो चाहिये कि ये लोग डैमोक्रेटिक तरीके से रहें। (विघ्न एवं शोर)

(इस समय कई माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो कर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : आप सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठें (विघ्न) आप लोग बैठेंगे तभी मैं रूलिंग दूंगा (विघ्न) आप सभी लोग अपनी सीटों पर बैठें और रूलिंग लें (विघ्न) आप लोग बैठेंगे, तभी तो मैं अपनी रूलिंग दूंगा। जय प्रकाश जी, आप बैठें। (विघ्न एवं शोर)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मुख्य मन्त्री जी ने भी कहा है प्रावधान में कुछ नॉर्म्ज होते हैं इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं केन्द्र में भी सांसद रहा हूं वहां पर भी हर साल बजट होता है। जहां तक नॉर्म्ज की बात है, प्रधान मन्त्री जी ने कभी भी बजट के बारे में इण्डिकेट नहीं किया है (विघ्न)।

चौ० भजन लाल : जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक कभी बजट लीक नहीं हुआ है (विघ्न) अगर कहीं भी कभी बजट में कुछ लीकेज हुई है तो सैंटर मन्त्री को इस्तीफा देना पड़ा है (विघ्न एवं शोर) इस्तीफा दिया गया है। (विघ्न एवं शोर) यह बात तो सारा देश जानता है और हरियाणा प्रदेश के सभी लोग भी जानते हैं। (विघ्न) बजट लीकेज के बारे में आप रूलिंग दें। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : मैं रूलिंग दूंगा आप बैठें और रूलिंग लें (विघ्न एवं शोर) आप कुछ सीखना नहीं चाहते हैं तो मैं क्या करूं (विघ्न एवं शोर) आपको रूलिंग चाहिए आप अपनी सीटों पर बैठें तभी मैं अपनी रूलिंग दूंगा। गुप्ता जी, आप भी अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न एवं शोर)

नगर एवं ग्राम आयोजना मन्त्री (श्री धीरपाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी पक्ष के नेता ने केवल हाऊस को गुमराह करने की कोशिश की है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सैशन से पहले जो कुछ कहा था, उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी । सरकार निर्णय लेती है और पोलिसी के तहत लेती है, वही उन्होंने कहा था। अध्यक्ष महोदय, ये लोग हरियाणा की जनता को

गुमराह कर रहें हैं। कभी गेहूं के रेट के नाम पर और कहीं टैक्सों के नाम पर और कहीं किसी और नाम से बार-बार जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। उसी बात पर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि भविष्य में जो बजट आएगा उस पर सरकार की ऐसी कोई मन्शा नहीं है कि कोई टैक्स लगाया जाए (विघ्न) इसमें कोई लीकेज नहीं है (विघ्न एवं शोर)।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न व शोर) जय प्रकाश जी जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए (विघ्न) गुप्ता जी, आप भी अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) आप दोनों मिल कर के कह लें। (विघ्न) आप सब बैठिए। आप क्या इक्ट्ठे सलाह करके आए हैं कि यहां पर इस तरह से बोलना है। (शोर एवं व्यवधान) गुप्ता जी, आप क्या बोलना चाहते हैं ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, धीरपाल जी ने जो कहा है और मुख्यमन्त्री जी ने जो कहा है वह ठीक है। (विघ्न) स्पीकर सर, आपने बजट अधिवेशन बुलाया है और आपने एडवाइजरी कमेटी में फैसला दिया था कि पांच तारीख को गवर्नरज़ एड्रैस होगा और सरकार ने जो चाहा था उसको इन्होंने गवर्नरज़ एड्रैस में हाईलाईट कर दिया था। इन्होंने जो 24-25 पेज का गवर्नरज़ एड्रैस पेश किया है उसमें अपनी नीति दी है उसमें ये कह सकते थे कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। आपने हाउस 8 तारीख को 12 तारीख तक के लिए एडजर्न किया था। मुख्यमन्त्री जी ने जीन्द में ब्रिवैंस कमेटी की मीटिंग की थी और वहां पर प्रैस कान्फ्रैंस में बोलते हुए यह स्टेटमैंट दी कि हमारा जो बजट पेश होगा उसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह बहुत ही सीरियस मैटर है। इस बारे में आपको रूलिंग देनी चाहिए। (विघ्न) कोई भी मिनिस्टर यह बात बजट पेश होने से पहले नहीं कह सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सब बैठ जाएं। आप मेरी रूलिंग सुनें। (शोर एवं व्यवधान) कर्ण सिंह जी आप की कोई बात रिकार्ड नहीं होगी क्योंकि आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप सब बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) आप सब बैठ जाएं, आप सब शान्ति बनाए रखें। कैप्टन साहब आपको सही गलत का कुछ पता नहीं है आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) आप सब मेरी रूलिंग सुनें।

> "जैसा कि चर्चा के दौरान सुनने में आया है कि यह कहा गया है कि बजट टैक्स फ्री होगा। बजट टैक्स फ्री होना और लीकेज होना यह दोनों अलग-अलग चीज हैं टैक्स फ्री का मतलब है किसी भी एक आदमी पर नया टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा क्योंकि अगर लीकेज है तो यह कह सकते हैं कि इस पर टैक्स लगाएंगे। इन चीजों से आपको फायदा होगा और आप इन चीजों का बिजनैस में लाभ उठा सकेंगे। जब इस बात को कहने से किसी को लाभ ही नहीं तो यह एक नार्मल रूटीन का बिजनैस है उसको करते रहें। बिजनैस में टैक्स लगना ही नहीं तो किस बात की परेशानी है इसलिए इसमें कुछ नहीं है यह बिल्कुल सही कहा है और कोई लीकेज नहीं है। यह तो बड़ी अच्छी बात कही गई है। यह बड़ा ही प्रोग्रैसिव बजट होगा। (शोर एवं व्यवधान) जो कुछ भी कहा गया है वह स्टेट के इन्ट्रैस्ट में कहा गया है। स्टेट के इन्ट्रैस्ट में कही गई बातें सही होती हैं।" (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आपकी कंसैन्ट के बगैर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। (शोर एवं व्यवधान).

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग आने के बाद भी अगर कोई सदस्य इस बारे में कुछ कहता है तो यह मुनासिब नहीं है। मैं इस बारे में थोड़ा और स्पष्ट कर दूं। मैंने पहले भी कहा था कि राजनीतिक दलों की एक पौलिसी और प्रोग्राम होते हैं और उसके तहत ही निर्णय लिए जाते हैं। अभी एक साथी कह रहे थे कि मैं पार्लियामैंट में रहा हूं इसलिए उनको ज्यादा पता है लेकिन पार्लियामैंट की प्रोसीडिंग्ज में तो उनका कहीं जिक्र तक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) प्रोसीडिंग्ज में आपका केवल नाम ही है भाषण का एक भी शब्द नहीं है।

Shri Bhupender Singh Hooda : Speaker Sir, I need your protection. This is no way.

स्पीकर सर, मैंने वहां पर ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस हर आईटम पर बोला है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप भिवानी रैली में बोले होंगे, पार्लियामैंट में नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, आप लोकसभा की प्रोसीडिंग्ज मंगवाकर देख लीजिए कि मैं वहां पर बोला हूं या नहीं। ये कभी लोकसभा में तो रहे नहीं हैं इसलिए इनको इस बारे में कुछ पता नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, जो व्यक्ति कभी लोकसभा में नहीं रहा हो उनको लोकसभा का कैसे ज्ञान हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष : हुडा साहब, आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरे बारे में एक बात कही है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे प्रोटैक्ट करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग आने के बाद इनको बोलने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस बारे में आपकी रूलिंग आने के बाद कोई चर्चा नहीं की जानी चाहिये। फिर भी, मैं भूपेन्द्र सिंह की तसल्ली के लिए उनको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी केन्द्र का बजट आने से पहले यह कहा था कि अब की बार बजट सख्त आएगा। इस तरह से बजट पर प्रतिक्रिया तो की ही जाती है। अध्यक्ष महोदय, इस साल का बजट आने से पहले प्रधानमंत्री जी का बयान आया था। यह बजट की लीकेज किसी तरह से भी नहीं मानी जा सकती है। बजट लीकेज तब माना जाता है जब किसी पर्टिकुलर आइटम पर सरकार की तरफ से टैक्स लगाया जा रहा हो और उसका उल्लेख पहले कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, जिस बात का उल्लेख विपक्ष के नेता ने किया था, मैं उनको बताना चाहूंगा कि यह बात हमने बजट सत्र शुरु होने के पहले कही थी कि हम टैक्स रहित बजट लाने का प्रयास करेंगे और यह कहना हमारा अधिकार है हम यह बात कह सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान) ये इस तरह की बात किसी स्टेज पर तो बोल सकते हैं लेकिन विधान सभा में ये ऐसा नहीं कह सकते।

वर्ष 2001-2002 के लिए बजट प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब। आप बैठें। अब वित्त मंत्री जी बजट प्रस्ताव हाऊस में रखेंगे।

वित्त मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, मैं इस गरिमामय सदन में 2001-2002 के वार्षिक बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

गत 26 जनवरी को गुजरात में आए भयानक भूकम्प से हजारों की मौत हुई, लाखों लोग बेघर हो गए। कुछ पल के लिए आए भूकम्प ने कच्छ के क्षेत्र में भयानक तबाही मचा दी। भूकम्प से प्रभावित लोगों एवं शोक-संतप्त परिवारों के प्रति मैं अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं। इस स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने भुज जिले के रापड़ तालुका में 19 क्षतिग्रस्त गांवों को अपनाया।

वाक-आउट

चौ0 भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनिए।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठ जाएं।

चौ0 भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए हम ऐज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी उपस्थित माननीय सदस्य सदन से वाक आउट कर गए।)

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, अब तो यह वाक आउट कर रहे हैं लेकिन जब इस पर चर्चा होगी तो यह बाथरूम में घुसेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनिए।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं इसलिए मैं ऐज ए प्रौटैस्ट सदन से वाक आउट करता हूं।

(इस समय रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया के सदन में उपस्थित एक मात्र सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल सदन से वाक-आउट कर गए।)

वर्ष 2001-2002 के लिए बजट प्रस्तुत करना (पुनरारम्भ)

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, स्वयं संपूर्ण राहत दलों ने इन गांवों की समस्त राहत जरूरतों को पूरा करके जन जीवन को सामान्य बनाने में सहायता की। इन राहत कर्मियों की सहानुभूतिपूर्ण एवं तत्पर कार्यशैली को गुजरात के उस क्षेत्र के लोगों ने सराहा है। मैं उन सभी विशालहृदय हरियाणा वासियों तथा उन अधिकारियों एवं स्वयंसेवियों की प्रशंसा करना चाहूंगा, जिन्होंने इस कर्तव्य को भली-भांति निभाया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुजरात के पीड़ित लोग अपने अदम्य साहस से अपने जीवन, समाज और अर्थव्यवस्था को पुनःस्थापित कर लेंगे और इस दुखद पीड़ा को भुला पाएंगे।

[प्रो0 सम्पत सिंह]

अर्थ-व्यवस्था

3. 1993-94 के स्थिर मूल्यों के आधार पर, वर्ष 1999-2000 में राज्य की अर्थ व्यवस्था में 6.9 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद 1998-99 के 28,339 करोड़ रुपये से बढ़कर 30,306 करोड़ रुपये हो गया। मौजूदा मूल्यों के अनुसार देखें तो, अर्थव्यवस्था में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद 42,941 करोड़ रुपये से बढ़कर 47,184 करोड़ रुपये हो गया है। क्षेत्रवार समीक्षा से यह पता चलता है कि 1999-2000 में प्राथमिक क्षेत्र में 5.6 प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्र में 6 प्रतिशत एवं तृतीयक क्षेत्र में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का अंशदान, जो 1993-94 में 43.3 प्रतिशत था, 1999-2000 में 35.4 प्रतिशत रह गया है, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों का 1999-2000 में यथाक्रम 27.2 प्रतिशत एवं 37.4 प्रतिशत अंशदान रहा जबकि 1993-94 में उनका अंशदान 24.7 एवं 32 प्रतिशत था। स्थिर मूल्यों के आधार अनुसार प्रति व्यक्ति आय 1998-99 के 12,766 रुपये से बढ़कर 1999-2000 में 13,463 रुपये हो गई है।

4. गत वर्ष हरियाणा के लोगों से विश्वास मत प्राप्त करके इस सरकार के सत्ता में आने के बाद मैंने आपके समक्ष सरकार का प्रथम बजट प्रस्तुत किया था। उस अवसर पर अपने भाषण में मैंने सरकार के सामने उभरी सम्भावनाओं और चुनौतियों के बारे में तथा राज्य में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये सरकार की रणनीति का उल्लेख किया था।

5. आगामी वर्ष के बजट प्रस्ताव का विस्तृत विवरण देने से पहले मैं वर्ष 2000-2001 के प्रस्तावों के दृष्टिगत हुई उपलब्धियों एवं समस्याओं के बारे में बताना चाहूंगा।

गत एक वर्ष में सरकार राज्य में विकासोन्मुखी एवं जीवन्त वातावरण बनाने में सफल रही है। जनता के सामने सरकार की पारदर्शिता, सुलभता एवं उत्तरदायित्व में लगातार इज़ाफा हुआ है। सरकारी कार्यक्रमों की गति तेज हुई है। विकास कार्यों का असर चारों ओर दिखाई दे रहा है। राज्य की अधिकांश सड़कों का पुनर्निर्माण किया गया है। पहले से कहीं ज्यादा बिजली मुहैय्या कराई जा रही है, और बिजली प्रणाली में बड़े पैमाने पर सुधार किया जा रहा है। चालू वर्ष में कृषि उत्पादन का लक्ष्य भी प्राप्त करने की पूरी संभावनाएं हैं।

6. राज्य की कर प्रणाली को युक्तिसंगत एवं सरल बनाने की हमारी कोशिशों के सुखद परिणाम निकले हैं। जहां हमने सर्वसम्मति से बने "एकरूप बिक्री कर" की दरों को लागू किया है, वहीं स्वयं कर-निर्धारण योजना को व्यापक बनाया है एवं व्यापार हितार्थ कई कदम उठाये हैं। चालू वित्त वर्ष में दिसम्बर 2000 के अन्त तक पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में बिक्री कर में 33.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चालू वर्ष में कर एवं राज्य सकल घरेलू उत्पाद की अनुपात पिछले साल के 7.46 प्रतिशत से बढ़कर 8.38 प्रतिशत हो गई है। हमने राजस्व घाटे पर भी काबू पाने में कुछ हद तक सफलता पाई है। राजस्व घाटा और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात वर्ष 1999-2000 के 1.93 प्रतिशत से सुधर कर चालू वित्त वर्ष में 1.82 प्रतिशत हो गया है। यह सूचक अगले वर्ष में और भी बेहतर होकर 1.64 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है।

7. कुछ कारणों से हमारे प्रयत्नों में बाधायें भी आई हैं। सारे देश की आर्थिक परिस्थिति के दृष्टिगत इस साल केन्द्रीय करों के अन्तरण में कुछ कमी आई है। पूंजी की लागत को कम करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने अल्पबचतों में निवेश पर भी ब्याज की दरों को घटाया है।

इससे ब्याज की दरें घटाने का मकसद तो काफी हद तक हासिल हुआ है, लेकिन इससे अल्पबचतों में निवेश भी प्रभावित हुआ है। फलस्वरूप केन्द्र सरकार से इस मद में हमें लक्ष्य से कम सहायता मिली है।

8. राज्यों को वित्त अन्तरण के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशें हरियाणा जैसे प्रगतिशील राज्यों के लिए उत्साहजनक नहीं रही। आयोग द्वारा अपनाये गये तरीके बेहतर वित्तीय प्रबन्धन वाले राज्यों के हक में नहीं थे। फलस्वरूप, केन्द्रीय करों में हमारा हिस्सा पहले के 1.238 प्रतिशत से घट कर अब 0.944 प्रतिशत रह गया है। आयोग ने हरियाणा राज्य के वित्तीय प्रबन्धन को अपेक्षाकृत बेहतर मानते हुये हमारे लिए राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश भी नहीं की है।

9. इन वित्तीय हालात के मद्देनजर हमारी सरकार को साल के दौरान योजना परिव्यय में कुछ परिवर्तन करने पड़े हैं। पिछले बजट में मैंने वर्ष 2000-2001 की वार्षिक योजना के लिए 2,530 करोड़ रूपये के प्रावधान का प्रस्ताव रखा था। साधनों को देखते हुये योजना परिव्यय को संशोधित करके 1,815 करोड़ रूपये किया गया है परन्तु हमने यह ध्यान रखा है कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर इससे ज्यादा विपरीत प्रभाव न पड़े। राज्य की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के सूचकांक को बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, वृद्धावस्था एवं अन्य पैंशनों आदि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में प्रावधान बढ़ाया गया है।

वार्षिक योजना, 2001-02

10. कृषि उत्पादन एवं औद्योगिक विकास के जरिए सामाजिक एवं आर्थिक विकास और न्याय लाने की हमारी रणनीति आगे भी जारी रहेगी। मूलभूत आर्थिक ढांचे के विकास के माध्यम से दीर्घ कालीन विकास एवं राजस्व वृद्धि कराना हमारे प्रयास का अभिन्न हिस्सा रहेगा। वर्ष 2001-02 की वार्षिक योजना के लिए 2,150 करोड़ रूपये का परिव्यय तय किया गया है जो चालू वर्ष के 1,815 करोड़ रुपये की संशोधित परिव्यय की तुलना में 18.46 प्रतिशत ज्यादा है। इस परिव्यय में से राज्य के अपने साधनों से 1,581.70 करोड़ रुपये और केन्द्रीय सहायता से 568.30 करोड़ रुपये जुटाये जायेंगे।

11. कुल योजना परिव्यय का 54.6 प्रतिशत राशि बिजली, सिंचाई, सड़क एवं परिवहन क्षेत्रों के लिए है। विशेषतः बिजली के लिए 485 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जिसमें बिजली सुधारीकरण कार्यक्रम के लिए 110 करोड़ रुपये शामिल हैं। सिंचाई योजनाओं के लिए 367.10 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिसमें डब्ल्यू0 आर0सी0पी0 के लिए 210 करोड़ रुपये रखे गये हैं। सड़क एवं परिवहन व्यवस्था के लिए 322.35 करोड़ रूपये रखे गये हैं। सामाजिक सेवाओं के लिए 700.76 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 299.97 करोड़ रुपये वृद्धों, विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं की पैंशन के लिए हैं। ग्रामीण विकास के लिए 84.23 करोड़ रूपये तथा कृषि एवं सम्बन्धित गतिविधियों के लिए 112.72 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मेवात एवं शिवालिक क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष योजनाओं के तहत 21.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना के तहत प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, पेयजल, पोषण, ग्रामीण आवास एवं ग्रामीण सड़कों के विस्तार के लिए 36.78 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

[प्रो0 सम्मत सिंह]

बिजली

12. विकास के लिए बिजली महत्वपूर्ण है। इसलिये हमने इस क्षेत्र को यथायोग्य प्राथमिकता दी है। पिछले 19 महीनों के दौरान हरियाणा की बिजली संस्थाओं ने पहले के मुकाबले प्रतिदिन औसतन 49 लाख यूनिट अधिक बिजली मुहैय्या करायी है। ये पिछली तुलनीय अवधि से 13 प्रतिशत अधिक है। 432 मेगावाट वाली गैस-आधारित फरीदाबाद ताप बिजली घर के चालू होने से यह सम्भव हो पाया है। इस ताप केन्द्र से रोज 80 लाख से एक करोड़ यूनिट बिजली मिलती है। राज्य के अपने ताप बिजली घरों में भी विद्युत उत्पादन में 9 प्रतिशत का सुधार हुआ है। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय पूल से एवं आसपास के राज्यों से भी बिजली खरीदी गई है।

13. राज्य सरकार बिजली क्षेत्र में समयबद्ध सुधार के पक्ष में है। इसी उद्देश्य से हमने हाल ही में केन्द्र सरकार के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इससे हमें केन्द्रीय सरकार की त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (Accelerated Power Development Programme) कोष से विभिन्न प्रकल्पों के लिए सहायता मिलेगी जिसमें 25 प्रतिशत अनुदान और शेष राशि सस्ते ऋण के रूप में होगी। इस समझौता-ज्ञापन में केन्द्र सरकार ने हमारे विद्युत प्रसारण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए एवं मौजूदा ताप बिजलीघरों के सुधार के लिए मदद का वायदा किया है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2004 से 436 मेगावाट के फरीदाबाद ताप बिजलीघर के द्वितीय चरण के लिए तथा पाँच-पाँच सौ मेगावाट के यमुनानगर और हिसार ताप बिजलीघरों के लिए गैस मुहैय्या करने का भी आश्वासन भी दिया है।

14. बिजली प्रणाली में सुधार के लिए चल रहे कार्यक्रमों के तहत बिजली संस्थाओं ने नौ ग्रिड उप केन्द्र एवं 135 नई ग्यारह के0वी0 लाईनों को चालू किया गया है। मौजूदा 71 उप केन्द्रों की क्षमता बढ़ायी गई है। पचास अत्याधिक लोड वाले ग्यारह के0वी0 के फीडरों का नवीकरण का काम शीघ्र पूरा होने वाला है, पिछले 18 महीनों में 123 करोड़ रुपये की लागत से 303 किलोमीटर लम्बी नई प्रसारण लाईनें बिछाई गई हैं। पुरानी तारों को भी बड़े पैमाने पर बदला गया है।

15. इन्हीं कारगर कदमों की वजह से चालू वर्ष में ट्रांसफार्मर जलने की दर में 3 प्रतिशत की कमी हुई है। 2001-02 में प्रसारण प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए 475 करोड़ रुपये की नई योजनाएं लागू की जायेंगी, जिसके लिए विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से कुल 256 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर हुआ है। आगामी वर्ष में 60 अत्यधिक लोड वाले ग्यारह के0वी0 फीडरों का भी पुनर्निर्माण किया जायेगा।

16. बिजली के बकाया बिलों की वसूली करने के लिये सरकार ने जुर्माना माफ करने की योजना बनाई है जिसके उत्साहवर्धक परिणाम सामने आये हैं। इसी साल के पहले नौ महीनों में बिजली कम्पनियों ने 12.1 प्रतिशत अधिक राजस्व कमाया है और कुल बिलों की 93.58 प्रतिशत वसूली की है।

वर्ष 2001-02 में बिजली क्षेत्र के लिए कुल 1,287.11 करोड़ रुपये की योजना एवं योजनेत्तर परिव्यय रखा गया है।

जल संसाधन

17. राज्य में जल संसाधन की सीमित उपलब्धता को देखते हुए इसके सही उपयोग के लिए जल संरक्षण विधि अपनायी जानी चाहिए। राज्य में 1994 से लागू की जा रही जल संसाधन समेकन परियोजना का यही उद्देश्य है। मौजूदा नहरों तथा ड्रेनों का पुनर्वास, नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण, पुराने सिंचाई ढांचों को नये सिरे से बनाना इत्यादि इस परियोजना के मुख्य कार्यों में से है। इस परियोजना का कार्यकाल दिसम्बर, 2000 में समाप्त हो रहा था, लेकिन अब इसे एक और वर्ष के लिये बढ़ाया गया है।

18. बढ़ाई गई अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने औटू-वेयर, पथराला बाँध तथा पंचकूला में सिंचाई भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करने की योजना बनाई है। साथ ही 500 खालों का पुनर्निर्माण किया जाएगा जिससे किसानों द्वारा सिंचाई प्रबन्धन, कृषि सघनता तथा विविधता के कार्यक्रमों में भाग लेना आसान हो जाएगा। इस परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित हिसार-घग्गर ड्रेन की व्यवहारिता सम्बन्धी अध्ययन भी किया जायेगा। इस परियोजना के लिए 2001-02 की वार्षिक योजना में 210 करोड़ रुपये आबंटित किये गए हैं।

19. राज्य सरकार नाबार्ड की ग्रामीण संरचनात्मक विकास निधि से विभिन्न सिंचाई कार्यों के लिए ऋण प्राप्त कर रही है। अब तक नाबार्ड द्वारा स्वीकृत 473 स्कीमों में से 324 के कार्य पूर्ण हो गये हैं, 71 कार्य प्रगति पर हैं तथा 78 अन्य स्कीमों का निर्माण कार्य जल्दी ही आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इन नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए वर्ष 2001-02 में 69.40 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

वर्ष 2001-02 में सिंचाई विभाग के लिए कुल 773.47 करोड़ रुपये का योजना एवं योजनेत्तर प्रावधान किया गया है।

सड़कें तथा पुल

20. सरकार ने राज्य के सड़क नैटवर्क के रखरखाव तथा सुधार को परम अग्रता दी है। तदानुसार सरकार ने परियोजनाएं स्वीकृत की हैं तथा इन परियोजनाओं के लिए धनराशि की समुचित व्यवस्था की है। नाबार्ड से आर0आई0डी0एफ0-3 तथा आर0आई0डी0एफ0-4 के तहत सड़कों एवं पुलों के 62 कार्यों को शुरु किया गया है जिनमें से 36 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं बाकी पर निर्माण कार्य शीघ्र पूरा होने जा रहा है।

21. हमने सड़कों के सुधार के लिए हुडको से भी पर्याप्त धनराशि का प्रबन्ध किया है। इस के तहत मुख्य जिला सड़कों तथा अन्य जिला सड़कों के 9,355 किलोमीटर के सुधार के लिए 368.28 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई है। सरकार ने 1,155 किलोमीटर लम्बाई के राज्य राज-मार्गों को दो चरणों में बेहतर बनाने का काम शुरु किया है। राज्य राजमार्गों के 20 भागों पर होने वाले इस कार्यों पर 219.92 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन सभी कार्यों के लिए हुडको ने कुल 468.27 करोड़ रुपये की ऋण राशि मंजूर की है। राज्य राज-मार्गों के सुधारीकरण कार्यक्रम के तीसरे तथा चौथे चरण के लिए भी हुडको ने 158.49 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण देने की सहमति की है।

22. राज्य सरकार को चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित केन्द्रीय सड़क निधि से राज्य राजमार्गों के सुधार के लिए 31.40 करोड़ रुपये एवं प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना

[प्रो0 सम्पत सिंह]

के तहत ग्रामीण सड़कों के लिए 20 करोड़ रुपये मिलेंगे। हमने केन्द्र सरकार से इन मदों पर अधिक प्रावधान करने के लिए अनुरोध किया है।

23. विश्व बैंक की सहायता से करनाल से अम्बाला तक के राष्ट्रीय राजमार्ग-1 का दूसरे चरण का कार्य तकरीबन पूरा हो गया है। 80 किलोमीटर के इस राज-मार्ग में 86 नये पुलों के साथ-साथ अम्बाला छावनी में फ्लाइओवर एवं अम्बाला शहर किंगफिशर पर्यटन केन्द्र के नजदीक ग्रेड सैप्रेटर बनाने के कार्य आरम्भ किए गये। इनमें से ज्यादातर पूरे हो गए हैं तथा अब यह विकसित राज-मार्ग यातायात के लिए खुला है।

24. राष्ट्रीय राज-मार्ग नं0 10 को बहादुरगढ़ से रोहतक तक चारमार्गी बनाने का प्रस्ताव है। केन्द्र सरकार ने इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण करने के लिए 16.40 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

25. राज्य में कई महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण के लिए सरकार ने "बनाओ-चलाओ तथा दे जाओ" (बी0 ओ0 टी0) का तरीका अपनाया है। इसी आधार पर फरीदाबाद में बाटा चौक के नजदीक 24 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर बनाया गया है। अब हम कुरुक्षेत्र के मौजूदा फ्लाईओवर में दो और लेन तथा रेवाड़ी में एक नया ओवर-ब्रिज बनाने पर विचार कर रहे हैं।

26. हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने भी ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाने के लिए काफी राशि खर्च की है। चालू वर्ष में दिसम्बर, 2000 तक बोर्ड द्वारा ग्रामीण सड़कों की विशेष मुरम्मत पर 60.63 करोड़ रुपये एवं नई योजक सड़कों के निर्माण पर 83.43 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं।

वर्ष 2001-02 के बजट अनुमानों में सड़कों एवं पुलों के लिए कुल 511.83 करोड़ रुपये के योजना एवं योजनेत्तर प्रावधान किया गया है।

परिवहन

27. अध्यक्ष महोदय, एक सुदृढ़ अर्थनीति को कार्यकुशल सड़क परिवहन व्यवस्था की जरूरत होती है। राज्य में ज्यादातर यात्री परिवहन सेवाएँ हरियाणा राज्य परिवहन प्रदान करती हैं। इसमें लगभग 3,500 बसें हैं। जिनमें 11 लाख से अधिक यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। परिवहन सेवाओं को व्यापक एवं लाभप्रद बनाने हेतु नई बसों की खरीद, समयसारणी एवं रूटों की व्यवस्था में सुधार तथा सेवा-स्तर में वृद्धि सम्बन्धी कई कदम उठाये गये हैं। चालू वर्ष में 1100 पुरानी बसें बदली जा रही हैं जिनमें से 450 बसें अब तक बदली जा चुकी हैं। इसके लिए चालू वर्ष में 36.85 करोड़ रुपये एवं अगले वर्ष में 41.85 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

28. डीज़ल की कीमतों में वृद्धि के कारण चालू वित्त वर्ष में हरियाणा राज्य परिवहन पर लगभग 60 करोड़ रुपये का अधिक भार पड़ा है। इसके बावजूद अप्रैल से दिसम्बर, 2000 की अवधि में इसके घाटे को पिछले साल की इस अवधि की तुलना में 29 प्रतिशत कम किया गया है। राज्य सरकार के राजस्व में हरियाणा परिवहन के कुल अंशदान में भी इस अवधि में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

29. राज्य सरकार परिवहन सेवा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहती है। इससे स्वरोजगार बढ़ने के साथ-साथ मौजूदा परिवहन व्यवस्था की कमियों को दूर किया जा

सकेगा। इसलिये हमने कुछ रूटों के निजीकरण की एक नयी योजना बनायी है। विनियमन की दिशा में, नागरिकों को बेहतर सुविधा देने के लिये प्रत्येक ज़िले में ज़िला परिवहन कार्यालय की स्थापना की गई है।

30. हमने राज्य के शहरी क्षेत्रों में एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात प्रबंधन एवं सम्बन्धित सेवाओं के सुधार पर विशेष ध्यान दिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थापित किये जा रहे यातायात सहायता केन्द्रों पर यातायात के सुचारीकरण एवं बचाव कार्य हेतु तकनीकी उपकरण रखे गये हैं। हम अपने राजमार्गों पर यातायात प्रबंधन को एक आदर्श प्रणाली के रूप में विकसित करने के लिये योजना बना रहे हैं।

वर्ष 2001-2002 के बजट अनुमानों में परिवहन सेवाओं के लिये कुल 510.83 करोड़ रुपये की योजना एवं योजनेत्तर प्रावधान किया गया है।

जन स्वास्थ्य

31. राज्य सरकार पेय जल सुविधा को एक बुनियादी जरुरत मानती है। एक ताजा सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा में 3,335 ऐसे गांव हैं, जहां 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मानक से कम पेय जल आपूर्ति होती है, सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है और पेयजल की आपूर्ति की मात्रा एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु तत्काल कदम उठाये हैं।

32. हमने चालू वर्ष के दौरान 500 कम आपूर्ति वाले गांवों में 55-70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की योजना बनाई है। इन में से दिसम्बर, 2000 तक 300 गांवों में यह काम पूरा हो चुका है तथा इस वर्ष के अन्त तक शेष गांवों में भी यह सुविधा प्राप्त हो जाएगी। इन कार्यों के लिए 'राज्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' और 'केन्द्रीय त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम' के अन्तर्गत इस वर्ष के दौरान 47.80 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।

33. राज्य सरकार ने रेवाड़ी और महेन्द्रगढ़ ज़िलों के फ्लोराईड प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ जल आपूर्ति के लिये भारत सरकार की सहायता से दो परियोजनाएं आरम्भ की हैं। रेवाड़ी ज़िले के 129 गांव तथा महेन्द्रगढ़ ज़िले के 62 गांव इस परियोजना में शामिल हैं। अब तक 10.62 करोड़ रुपये की लागत से रेवाड़ी ज़िले के 113 तथा महेन्द्रगढ़ ज़िले के 23 गांवों को स्वच्छ पेय जल मुहैय्या करवाया जा चुका है।

34. राज्य सरकार ने ऐसे गांवों में 75,000 घरेलू कनैक्शन उपलब्ध करवाये हैं जहां जलापूर्ति 40 लीटर से बढ़कर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गई है। 300 रुपये के आरम्भिक कनैक्शन शुल्क के साथ-साथ इन घरेलू कनैक्शनों के लिये हर महीने 20 रुपये प्रति नल के हिसाब से फीस निर्धारित की गई है।

35. वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्य के 550 कम आपूर्ति वाले गांवों में जल आपूर्ति का स्तर 55-70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य के लिए राज्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 31 करोड़ रुपये तथा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत 20 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त, मरुस्थलीय क्षेत्रों के 22 गांवों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति पेयजल आपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत 4.71 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

[प्रो0 सम्पत सिंह]

36. यद्यपि हरियाणा के 52 शहरों में पाईप द्वारा जल आपूर्ति की जाती है, फिर भी मार्च, 2000 तक शहरों में जलापूर्ति का स्तर 68 प्रतिशत था। चालू वर्ष में इस स्तर को बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जा रहा है तथा आगामी वर्ष में औसतन सेवा का स्तर 73-74 प्रतिशत तक करने के लिए 13.48 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यमुना एक्शन प्लान तहत हरियाणा के 18 कस्बों में मल-शोधन केन्द्रों एवं मल-निकास प्रणालियों का निर्माण किया गया है। इसी दिशा में अब भारत सरकार ने छछरौली, रादौर, इन्द्री, घरौण्डा, गोहाना एवं पलवल में मल-निकास केन्द्र बनाने की मंजूरी दी है। यमुना एक्शन प्लान के क्रियान्वयन हेतु आगामी वर्ष में 35 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

जन स्वास्थ्य विभाग के लिए योजना एवं योजनेत्तर वर्ष 2001-2002 के बजट अनुमानों में कुल मिलाकर 481.24 करोड़ रुपये का परिव्यय है।

कृषि एवं संबंधित गतिविधियां

37. कृषि अभी तक हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बनी हुई है एवं यह अन्य क्षेत्रों में विकास को गति प्रदान करती है। राज्य के 75 प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से ही अपनी जीविका उपार्जन करते हैं।

38. औसत से कम वर्षा होने के बावजूद हरियाणा के किसानों ने खरीफ 2000 में 35.14 लाख टन का रिकार्ड खाद्यान्न उत्पादन किया है जिसमें 28.26 लाख टन धान शामिल है। 13.52 लाख गांठें कपास भी उत्पादित की गई। गन्ने का उत्पादन भी अच्छा हुआ जिससे लगभग 8 लाख टन गुड़ बना है।

39. सूखा जैसे हालात के चलते पिछली रबी की फसलों, विशेषकर चना एवं सरसों, की बीजाई प्रभावित हुई है। इसके बावजूद 23 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बिजाई की गई। दिसम्बर 2000 के अन्त में हुई वर्षा से रबी उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद बढ़ी है, इस फसल में 96 लाख टन गेहूं, एक लाख टन चना, 1.20 लाख टन जौ और 10 हजार टन दालों का उत्पादन होने की संभावना है। राई और सरसों का उत्पादन भी लगभग 6 लाख टन तक होने की आशा है। वर्ष 2000-2001 में कुल 133.44 लाख टन खाद्यान्न तथा 6.74 लाख टन तिलहनों का उत्पादन होने की सम्भावना है। हरियाणा के किसान इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई के पात्र हैं।

40. मैं इस गरिमामय सदन का ध्यान बदलते परिपेक्ष्य की ओर आकर्षित करना आवश्यक समझता हूं। हमारे कृषि उत्पादन की विपणन योग्यता हमारी अर्थव्यवस्था को गति देता रहा है। हरित क्रान्ति के प्रारम्भ से ही हरियाणा ने राष्ट्र को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में अहम् भूमिका निभाई है। गत दो दशकों में केन्द्रीय खाद्यान्न भण्डार में राज्य का योगदान इस बात का सबूत है। लेकिन ऐसा करते हुए हम खाद्यान्न के उत्पादन-चक्र में उलझ गये हैं। अब कई अन्य राज्यों में भी खाद्यान्न का अधिक उत्पादन हो रहा है। हम एक ऐसी व्यापार व्यवस्था के कगार पर हैं जहां आयात सम्बन्धी सभी प्रकार का परिमाण बाधाएं समाप्ति हो जाएंगी। इसके फलस्वरूप हरियाणा के औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन को भारत में विपणन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।

41. हमारी कृषि-रणनीति, उत्पादकता और उत्पाद वर्ग की समीक्षा करना अब आवश्यक हो गया है, ताकि हमारा कृषि क्षेत्र इस नई व्यवस्था में भी अनवरत रूप से लाभप्रद रह सके।

सरकार के द्वारा नीतियों का पुनःनिर्धारण तथा संरचनात्मक समर्थन और राज्य के लोगों के सतत प्रयास इस चुनौती का सामना करने के लिये आवश्यक होंगे। राज्य सरकार ने पंजाब सरकार के साथ मिलकर प्रोफेसर वाई0 के0 अलग की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी गठित की है जो आवश्यक नीति निर्धारण और अन्य जरुरी गतिविधियों के बारे में सिफारिश करेगी।

42. पानी की कमी के मद्देनजर ऐसी फसलों की किस्मों तथा कृषि आयामों को अपनाने की जरुरत है जिससे पानी की खपत कम से कम हो। इन हालात में फव्वारा सिंचाई प्रणाली ही एक उचित विकल्प है। राज्य में अब तक 74,660 फव्वारा सैट लगे हुए हैं तथा चालू वर्ष में 5,000 सैट और लगाये जाने की योजना है।

43. राज्य सरकार भूमि की उत्पादकता बनाये रखने तथा कल्लर भूमि को कृषि योग्य बनाने को प्राथमिकता दे रही है। भूमि के उपजाऊपन के विकास के लिये काण्डी परियोजना तथा खारापन और सेम से ग्रस्त क्षेत्रों के सुधार के लिए पायलट परियोजनाएं ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, जिनके उत्साहवर्धक परिणाम निकले हैं। सरकार अन्य क्षेत्रों में भी आवश्यकता अनुसार ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयत्न करेगी।

44. राज्य में 105 मंडियों, 179 उप मंडियों तथा 150 से अधिक खरीद केन्द्रों की व्यवस्था है जहां किसानों को उत्तम विपणन सुविधाएं उपलब्ध हैं। चालू वित्त वर्ष में हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड ने 125 करोड़ रुपये की मार्किट फीस इकट्ठी करने का लक्ष्य रखा है और अप्रैल से दिसम्बर, 2000 तक 119.53 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है। यह राशि गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान की राशि से 22 प्रतिशत अधिक है। बोर्ड ने इस वर्ष अपनी भण्डारण क्षमता में 40,000 टन की बढ़ौतरी करके कुल 4.27 लाख टन की क्षमता बनाने का लक्ष्य रखा है। अन्य सरकारी संस्थाएं भी इस वर्ष के दौरान 10.44 लाख टन की भण्डारण क्षमता बढ़ाएंगी।

45. राज्य सरकार हरियाणा के किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतः वचनबद्ध है। वर्ष 2000-2001 के दौरान सरकारी एजेंसियों द्वारा 44.97 लाख टन गेहूं तथा 13.60 लाख टन धान की खरीद की गई थी, जो कि अब तक का रिकार्ड है।

46. पशुपालन राज्य की कृषि सम्बन्धी गतिविधियों में मुख्य है। राज्य में 113.98 लाख पशुधन है तथा दूध की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलभ्यता 626 ग्राम है जो कि देश में दूसरे स्थान पर है। किसानों को पशु धन के लिये उत्तम चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। नवगठित हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड ने स्थानीय मुर्रा भैंसों की नस्ल को बनाये रखने के लिए प्रजनन कार्यक्रम शुरु किया है। बोर्ड ने इस कार्य के लिए आवश्यक संरचना बना ली है।

47. नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राज्य सरकार ने पशुधन से 49.29 लाख टन दूध, 7450 लाख अण्डे, 20.40 लाख किलोग्राम ऊन के उत्पादन की योजना बनाई है। पशुपालन क्षेत्र के लिए चालू वार्षिक योजना में 16 करोड़ रुपये का तथा 2001-2002 में 16.95 करोड़ रुपये की योजना का प्रावधान है।

वर्ष 2001-02 के दौरान कृषि एवं सम्बन्ध क्षेत्र के लिए जिसमें हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, पशुपालन, मत्स्यपालन, दुग्ध विकास, बागवानी और वन शामिल हैं, कुल 539.91 करोड़ रुपये का योजना एवं योजनेत्तर प्रावधान है।

[प्रो0 सम्पत सिंह]

सहकारिता

48. राज्य में सहकारिता आन्दोलन की व्यापकता का अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब राज्य में 22,085 सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं जिनके कुल 44.25 लाख सदस्य हैं। वर्ष 1999-2000 में इन सहकारी समितियों की 10,312.59 करोड़ रुपये की चलत पूंजी थी और इन्होंने 66.35 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है।

49. 17 केन्द्रीय सहकारी बैंकों, उनकी 336 शाखायें एवं 2,347 प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (जिनको साधारणतया मिनी बैंक कहा जाता है) के द्वारा हरियाणा के किसानों को छोटी अवधि के ऋण संतोषजनक रूप से दिए जा रहे हैं। इन समितियों द्वारा चालू वित्त वर्ष में 1,731.15 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये हैं एवं 1,367.85 करोड़ रुपये की निवेश प्राप्ति हुई है। राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड और रिवोल्वींग कैश क्रैडिट की योजनाएं शुरु की गई हैं जिससे किसानों को 60,000 रुपये तक का ऋण आसानी से मिल जाता है। राज्य में कार्यरत 86 प्राथमिक कृषि ग्रामीण विकास बैंक कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिये लम्बी अवधि के ऋण देते हैं। आज की तारीख में उन द्वारा 183.56 करोड़ रुपये के लम्बी अवधि के ऋण दिये गये हैं।

50. अब हरियाणा में 10 सहकारी चीनी मिलें कार्य कर रही हैं। वर्ष 1999-2000 में इन मिलों द्वारा 274.54 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई हुई थी और 24.42 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। हमारी सरकार ने राज्य के किसानों को गन्ने का समर्थन मूल्य 104 रुपये, 106 रुपये तथा 110 रुपये प्रति क्विंटल की दर से दिया है जो कि देश में अधिकतम है। किसानों को समय पर गन्ने के मूल्य का भुगतान किया जा रहा है। चालू पिराई सत्र में, अब तक इन मिलों में औसतन 9.52 प्रतिशत चीनी की रिकवरी हुई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि में 8.72 प्रतिशत की रिकवरी हुई थी।

51. राज्य सरकार ने सोनीपत जिले के आहुलाना में एवं सिरसा जिले के पन्नीवाला मोटा में दो नई सहकारी चीनी मिलें स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे इन जिलों के किसानों को काफी फायदा होगा। इन दोनों मिलों की अगली पिराई सत्र तक चालू होने की आशा है।

वर्ष 2001-02 के बजट अनुमानों में सहकारिता विभाग के लिए 29.72 करोड़ रुपये का योजना एवं योजनेत्तर प्रावधान किया गया है।

औद्योगिक विकास का वातावरण

52. आज के माहौल में रोजगार के अवसर मात्र सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं है। समय आ गया है जब निजी क्षेत्र में उद्योग एवं सेवाओं के विस्तार के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। मेरा विश्वास है कि इससे सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा कहीं ज्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

53. अनुकूल नीतियां, सहायक संरचनात्मक ढांचा और योग्य मानव संसाधन तैयार करना औद्योगिक विकास के लिये मूलभूत जरुरतें हैं। इसको ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए एक सर्वांगीण नीति अपनाई है। नई औद्योगिक नीति 1999, सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2000 और नई शिक्षा नीति 2000 इस दिशा में मुख्य प्रयास हैं।

54. जब से नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है, राज्य में लगभग 20,000 करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिससे 1.5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है। वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य में 237.58 करोड़ रुपये के निवेश से 25 बड़े और मध्यम उद्योग स्थापित किए गए जिससे 2,244 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। इसी वर्ष 611 लघु उद्योग भी स्थापित किए गए हैं जिनमें 4,981 व्यक्तियों को रोज़गार दिया गया है। अब राज्य में कुल 1,066 बड़े तथा मध्यम उद्योग एवं 72,733 लघु उद्योग स्थापित हैं जिनमें 7.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए गये प्रयत्नों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं तथा वर्ष 1999-2000 में हरियाणा से 5,000 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात किया गया है।

55. पानीपत में 3,868 करोड़ रुपये की लागत से भारतीय तेल निगम का तेल परिशोधक कारखाना स्थापित किया गया है। 4,228 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करके इस रिफाईनरी की क्षमता को साठ लाख टन से 1.20 करोड़ टन प्रति वर्ष तक बढ़ाया जा रहा है। इस कारखाने के उत्पादों पर आधारित उद्योगों के लिए यह एक केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा। भारतीय तेल निगम पानीपत में 360 मैगावाट क्षमता की बिजली उत्पादन संयत्र की भी स्थापना कर रहा है।

56. हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम को राज्य में उत्तम औद्योगिक आधारभूत संरचना विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है। निगम के पास कुल 71 औद्योगिक सम्पदाएं हैं जिनमें 16,784 औद्योगिक प्लाट एवं 1,036 शैड हैं। इन में से अनेक औद्योगिक केन्द्रों ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित किया है।

57. हाल ही में जब उद्योगों को दिल्ली से विस्थापित किया गया, तो राज्य सरकार ने इन उद्योगपतियों को अपना कारोबार हरियाणा में स्थानान्तरित करने की सुविधा प्रदान की। दिल्ली के अब तक एक हजार से अधिक उद्योगों को हरियाणा में भूमि आबंटित की गई है। हमें आशा है कि वे राज्य के औद्योगिक विकास में सहायक होंगे।

58. राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी नीति इस क्षेत्र में निवेश पर ध्यान केन्द्रित करती है। इस नीति के तहत भूमि के तुरन्त आबंटन, निर्बाध बिजली आपूर्ति, भूतल एवं क्षेत्र अनुपात और प्रदूषण नियंत्रण में छूट आदि प्रोत्साहन की सुविधाएं दी गई हैं। राज्य सरकार ने इंटरनेट सेवा संस्थाओं तथा साधारण दूरभाष सेवा संस्थाओं द्वारा राज्य में फाईबर ओपटिक तारों का जाल बिछाने के कार्य को सुचारु रुप से कराने के लिए एक 'मार्गाधिकार' नीति भी तैयार की है। सरकार 'हरनेट' नामक राज्य-व्यापी संचार-तन्त्र स्थापित करना चाहती है जिससे सरकारी विभागों में आपसी संचार और इलैक्ट्रोनिक प्रशासन तथा वैब-आधारित नागरिक सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों की सुविधा देने के लिए उच्च-गति संवाद संचार केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा गुड़गांव में साईबर सिटी और पंचकूला में ज्ञान-उद्यान विकसित किया जा रहा है, जो सूचना प्रौद्योगिकी में निजी निवेश को आकर्षित करेंगे।

वर्ष 2001-02 के बजट में उद्योग के लिए योजना और योजनेत्तर कुल 33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

रोजगारोन्मुखी क्षमता का विकास

59. हरियाणा में उद्योगों और सेवाओं में योग्य और तकनीकी रूप से सक्षम लोगों की आवश्यकता होगी। योग्य मानव संसाधन के विकास के लिये एक समेकित रणनीति अपनाई गई

[प्रो0 सम्पत सिंह]

है जिसमें तकनीकी शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण एवं परिवर्तित माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों की आवश्यकताओं को देखते हुए अति कुशल मानव संसाधन तैयार करने हेतु राज्य सरकार एक भारतीय सूचना प्रौद्योगिक संस्थान स्थापित करने जा रही है। इस नई चुनौती का सामना करने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को तैयार रहने के लिए आह्वान किया गया है। इस वर्ष विभिन्न तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के कुल 17,207 सीटों में से लगभग 54.5 प्रतिशत सीटें केवल विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धित पाठ्यविषय के लिए आरक्षित रहे। आगामी वर्ष में यह अनुपात बढ़कर 55.5 प्रतिशत होने की संभावना है। सरकार ने प्रत्येक जिले में बहुतकनीकी संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके अनुसरण में पानीपत, जीन्द, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, सिरसा, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर, फतेहाबाद और गुड़गांव जिलों में नए बहुतकनीकी संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

60. सभी विद्यालयों में पाठ्यक्रम को मांग अनुसार उपयोगी बनाकर तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए चौकस प्रयास किये गये हैं। मुझे सदन को यह बताने में खुशी है कि नीलोखेड़ी स्थित राजकीय बहुतकनीकी संस्थान को शिक्षा की गुणवत्ता के लिए आई0 एस0 ओ0 प्रमाणित किया गया है। पहली बार बहुतकनीकी संस्थान एवं उद्योग के वार्ता विनिमय प्रकोष्ठ ने उत्तीर्ण छात्रों के लिए 75 प्रतिशत चयन का लक्ष्य रखा है। राज्य में 192 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं और व्यावसायिक शिक्षा संस्थान हैं जो प्रतिवर्ष लगभग 31,000 कुशल कर्मी तैयार करते हैं। उनके पाठ्यक्रम को औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर बदला जा रहा है।

61. राज्य की उच्चतर शिक्षा प्रणाली को भी रोजगार मुखी बनाया जा रहा है। चालू वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त गैर-सरकारी कालेजों को उच्च रोजगार संभावनायुक्त करीब 80 नए पाठ्यविषय शुरु करने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार ने इस प्रकार से हरियाणा के युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ राज्य के उद्योगों को तकनीकी रूप से दक्ष जनशक्ति की आपूर्ति करने के लिये कदम उठाना शुरु किया है।

प्राथमिक शिक्षा का प्रसार

62. राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा को बच्चों की मूलभूत आवश्यकता मानती है तथा शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के साथ-साथ प्राथमिक विद्यालय तन्त्र के विस्तार तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर बल दिया है। राज्य में 8,623 सरकारी तथा 1,937 गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालय चलाये जा रहे हैं। चालू वर्ष में 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के 23.91 लाख बच्चों को दाखिला दिया गया है। सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त अध्यापक सुनिश्चित करने के लिए 3,076 नए जे0 बी0 टी0 अध्यापकों की भर्ती की है। विश्व बैंक एवं केन्द्र सरकार की सहायता से राज्य के 7 जिलों में चलाये जा रहे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के हमारे प्रयासों को सफल बनाने में विशेष योगदान मिला है।

वर्ष 2001-2002 बजट में शिक्षा के लिये कुल 1,532.43 करोड़ रुपये की योजना और योजनेत्तर प्रावधान किया गया है। इसमें से प्राथमिक शिक्षा के लिये 652.11 करोड़ रुपये, माध्यमिक शिक्षा के लिये 537.69 करोड़ रुपये, उच्चतर शिक्षा के लिए 225.06 करोड़ रुपये,

तकनीकी शिक्षा के लिये 42.90 करोड़ रुपये तथा औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा के लिए 46.10 करोड़ रुपये एवं कला, संस्कृति तथा युवा कल्याण के लिए 28.57 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

समाज कल्याण

63. माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा ने वृद्धों, अपंगों, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं जैसे सामाजिक समूहों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में अहम् भूमिका निभाई है। इन श्रेणियों की पैंशन के लिये चालू वित्त वर्ष में 310.03 करोड़ रुपये तथा आगामी वर्ष के लिये 312.50 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

64. अपंग व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से राज्य में 2,20,891 अपंग व्यक्तियों की पहचान की गई है जिनके पुनर्वास और शल्य-चिकित्सा सम्बन्धी जरूरतों के बारे आकलन किया जा रहा है।

65. अनुसूचित जातियों को शिक्षा का अवसर देकर समाज की मुख्य धारा में लाने के लिये सरकार प्रयत्नशील है। इसलिये हमने आगामी वर्ष से अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के वर्तमान वजीफे की दर को दुगना करने का फैसला किया है। छठी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 30 रुपये प्रतिमास तथा नौवीं से बारहवीं कक्षा के विधार्थियों को 40 रुपये प्रतिमास की दर से वजीफा दिया जायेगा। इसी तरह उनका वार्षिक लेखन सामग्री अनुदान 80 रुपये तथा 120 रुपये कर दिया जायेगा। नौवीं से बारहवीं कक्षा में पढ़ रहे पिछड़े वर्ग श्रेणी 'क' के विद्यार्थियों को भी 40 रुपये प्रतिमास की दर से वजीफा दिया जायेगा। सरकार ने अगले वर्ष से अनुसूचित जातियों को भवन निर्माण के लिये दी जा रही अनुदान राशि को पांच हजार रुपये से बढ़ा कर दस हजार रुपये करने का फैसला लिया है।

66. हरियाणा अनुसूचित जाति आर्थिक विकास एवं वित्त निगम और हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक कमजोर वर्ग कल्याण निगम अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को स्व-रोजगार और जीविका उपार्जन के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। अगले वर्ष के लिये अनुसूचित जाति निगम 12,500 व्यक्तियों को सहायता देने के लिये 43.47 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के लिये योजना बना रहा है। पिछड़ा वर्ग निगम वर्ष 2001-02 में 6.50 करोड़ रुपये के प्रावधान से 2,100 व्यक्तियों को सहायता देगा।

67. हमारे राज्य में एक विस्तृत जन वितरण प्रणाली है। कुल 44.20 लाख राशन कार्ड हैं जिनमें 2.14 करोड़ यूनिट दर्ज हैं। इन उपभोक्ताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में 5,251 एवं शहरी क्षेत्रों में 2,505 उचित मूल्य की दुकानों द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं। लक्षित जन वितरण योजना के तहत, गरीबी रेखा के नीचे वाले प्रत्येक परिवार को 5.65 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से हर महीने 20 किलो आटा मुहैय्या करवाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित अन्त्योदय अन्न योजना को लागू करने हेतू सबसे गरीब परिवारों का चयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को हर महीने 25 किलो अनाज काफी सस्ते मूल्य पर दिया जायेगा।

समाज कल्याण क्षेत्र के लिये वर्ष 2001-02 के बजट में 473.44 करोड़ रुपये का कुल योजना एवं योजनेत्तर प्रावधान किया गया है जिसमें महिला एवं बाल विकास, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान शामिल हैं।

[प्रो0 सम्पत सिंह]

स्वास्थ्य सेवायें

68. हरियाणा राज्य में एक उत्तम स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मौजूद है। अब राज्य में 49 सामान्य हस्पताल, 64 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 402 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 2,299 उपकेन्द्र हैं जिनमें 2,257 चिकित्सक, 1,722 नर्सें, 978 औषधकारकों, 5,187 बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 799 प्रयोगशाला तकनीशियन, 93 चक्षुचिकित्सा सहायक एवं 141 रेडियोग्राफर आदि कार्यरत हैं। हम पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान को इस क्षेत्र के एक ख्यातिप्राप्त संस्था के रूप में बनाये रखने के लिये वचनबद्ध हैं। पिछले सालों में स्थापित महाराजा अग्रसेन चिकित्सा महाविद्यालय , अग्रोहा को भी निरन्तर सहायता दी जा रही है।

69. वर्तमान सरकार के कार्य सम्भालने के पश्चात् स्वास्थ्य सेवाओं के लिये कई नए भवनों का निर्माण किया गया है जिनमें 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दो शहरी औषधालय, जीन्द चिकित्सालय में 50 बिस्तरों का एक नया खंड तथा डबवाली में 60 बिस्तरों का एक हस्पताल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त गोहाना में एक 50 बिस्तरों का हस्पताल, फतेहाबाद व झज्जर में ब्लड बैंक, फरीदाबाद में दो रैफरल इकाईयां, दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये भवन निर्माण जारी है। भारत सरकार ने प्रथम चरण में करनाल में 1.50 करोड़ रुपये की लागत वाला एक ट्रोमा सैन्टर स्थापित करने के हमारे अनुरोध को मान लिया है।

70. चालू वित्त वर्ष में दवाईयों के लिये 5.50 करोड़ रुपये तथा उपकरण खरीदने के लिये 1.5 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त ग्यारहवें वित्त आयोग से निदान सुविधाओं का स्तर बढ़ाने के लिये 3.5 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई है। अब हमारे पास उच्च कोटि के उपकरण उपलब्ध हैं जिनमें अल्ट्रासाउण्ड, टी0 एम0 टी0 तथा एण्डोस्कोपी आदि शामिल हैं। प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिये 3.51 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

71. केन्द्र सरकार एवं विश्व बैंक की सहायता से राज्य में जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण पाने एवं जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के साथ-साथ अन्य केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। जहां हरियाणा में वर्ष 1989 में शिशु जन्म दर 35.2 प्रति हजार थी, वह अब घटकर 23.1 प्रति हजार रह गई है। यह जन्म दर सारे देश की 26.4 प्रति हजार की जन्म दर के मुकाबले बेहतर है। इसी तरह जहां राष्ट्रीय औसत शिशु मृत्यु दर 72 प्रति हजार है, इसके मुकाबले हरियाणा में शिशु मृत्यु दर 56.8 प्रति हजार है।

72. सरकार ने गिनी कृमि का पूर्ण रूप से तथा कुष्ठ रोग का लक्ष्य अनुसार निराकरण करने में सफलता पाई है। क्षयरोग हमारे लिये एक चिंता का विषय है। इस समस्या के समाधान के लिये अब राज्य के फरीदाबाद, गुड़गांव और सोनीपत जिलों में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 90 प्रतिशत रोगी आरोग्य-प्राप्ति

कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को शीघ्र ही सात और जिलों में क्रियान्वित किया जायेगा।

वर्ष 2001-2002 के बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिये 371.88 करोड़ रुपये की राशि का योजन तथा योजनेतर प्रावधान किया गया है जिसमें चिकित्सा शिक्षा एवं वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रावधान शामिल हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थाएं

73. गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रति राज्य सरकार पूर्णरूप से जागरूक है। ग्रामीण विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए हम पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। इन योजनाओं में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इन्दिरा आवास योजना, रोजगार गारन्टी योजना एवं मरुस्थल विकास योजना जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इन सभी कार्यक्रमों के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी जिसमें राज्य का अंशदान 25.28 करोड़ रुपये होगा। इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण ढांचागत विकास कार्यों के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से दिसम्बर, 2000 तक 83.51 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है।

74. राज्य सरकार ने इसी साल प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं 16.00 बजे शहरी निकायों के लिए की गई सिफारिशों को मान लिया है और उसी अनुसार साल के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से 34.13 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। इन संस्थाओं को वित्तीय सहायता के नीति निर्धारण के लिए राज्य सरकार ने दूसरे राज्य वित्त आयोग का भी गठन कर दिया है। इसके अतिरिक्त ग्यारहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 2000-2005 की अवधि में राज्य को पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिवर्ष 29.42 करोड़ रुपये की राशि दी जायेगी।

सरकारी कर्मचारियों का कल्याण

75. राज्य के सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को जनवरी एवं जुलाई, 2000 से देय मंहगाई भत्ते की दो किस्तें दी गई हैं। कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों की वेतन-विसंगतियों को भी दूर किया गया है। अपंग कर्मचारियों को मिलने वाले वाहन भत्ते को 150 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये प्रति माह किया गया है।

खेलों का विकास

76. हरियाणा राज्य में अनेक उत्कृष्ट खिलाड़ी उभरे हैं जिन्होंने उत्तम प्रदर्शन करके राज्य का नाम ऊँचा किया है। खेलों के विकास के लिए सरकार आधुनिक किस्म की सुविधाएं विकसित करने में प्रयासरत है। जहां एक ओर 8.43 करोड़ रुपये की लागत से फरीदाबाद खेल कॉमप्लैक्स का निर्माण किया गया है वहीं अम्बाला एवं गुड़गांव में हॉकी के लिए कृत्रिम मैदान की सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। इस समय राज्य में 400 से अधिक खेल प्रशिक्षण केन्द्र एवं 24 खेल नर्सरी चल रहे हैं एवं एक खेल छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। उभरती खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के विभिन्न बोर्डों एवं निगमों ने 9 खेल नर्सरियों को अपनाया है।

77. राज्य सरकार प्रतिवर्ष उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार प्रदान करती है जिसमें मान-पत्र के साथ 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। चालू वित्त वर्ष में छः खिलाड़ियों को भीम

[प्रो० सम्पत सिंह]

पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक विलक्षण योजना आरम्भ की है जिसके अन्तर्गत ओलम्पिक स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को क्रमशः एक करोड़, पचास लाख एवं पच्चीस लाख रुपये की ईनाम राशि देने का प्रावधान किया गया है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि श्रीमति कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलम्पिक खेलों में कांस्य पदक प्राप्त किया जिसके लिए राज्य सरकार ने उन्हें पच्चीस लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की।

वित्तीय प्रबन्धन एवं सुधारीकरण

78. अब राष्ट्रीय स्तर पर एक आम सहमति उभर कर आई है कि सरकार को मुख्यतः मूलभूत ढांचागत विकास और नीति-निर्धारण एवं विनियमन जैसे मुद्दों पर ही ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। सरकारी विभागों एवं एजेंसियों के बढ़ते हुए स्थापना खर्च को देखते हुए सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना आवश्यक लग रहा है ताकि सरकार पर होने वाले खर्च में कमी की जा सके एवं संसाधनों का प्रयोग मुख्यतः जन कल्याण के लिए किया जा सके। यह समय की मांग है कि हम सरकारी कामकाज के तरीकों को युक्तिपूर्ण बनाने के लिए पुनः निर्धारण करें ताकि गैर-उत्पादक खर्चों में कटौती के साथ-साथ सरकारी कार्यप्रणाली में गुणात्मक सुधार भी आये।

79. सौभाग्यवश सरकारी कार्यप्रणाली के इस पुनर्निरीक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के मिश्रण से हमें काफी मदद मिलने की आशा है। इस तकनीकी विकास के प्रयोग से ई-प्रशासन कायम करना सम्भव है, जिससे नागरिक सेवा में गुणात्मक सुधार सम्भव होगा।

80. राज्य सरकार ने इस उद्देश्य से एक समेकित रणनीति अपनाई है। जहां गैर-जरुरी भर्तियों पर प्रतिबन्ध तथा स्थापना खर्चों में कटौती हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही प्रमुख सरकारी विभागों के सांगठनिक ढांचे की समीक्षा करके उनमें कार्यकुशलता एवं मितव्ययिता हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

81. जैसाकि मैंने पहले जिक्र किया था, सरकार ने राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धित निवेशों को प्रोत्साहित करने तथा ई-प्रशासन का एक मॉडल विकसित करने हेतु अलग से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग स्थापित किया है एवं एक विशेष सूचना प्रौद्योगिकी नीति बनाई है, सूचना प्रौद्योगिकी नीति के माध्यम से राज्य में निवेश और औद्योगीकरण के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग विभिन्न विभागों को उनके जनता सम्बन्धित तथा अन्य विभागीय कार्यों को कुशलता पूर्वक करने में सहयोग दे रहा है, भवनिवेश, आबकारी एवं कराधान विभाग, खजाना एवं लेखा विभाग, परिवहन विभाग एवं वित्त विभाग आदि प्रमुख विभागों में इस बारे में पहल की जा रही है। सभी विभागों में प्रयोग हेतु भी कुछ सोफ्टवेयर विकसित किये जा रहे हैं।

82. राज्य सरकार गत वर्षों में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ऋण लेती रही है। चालू वित्त वर्ष के अन्त तक राज्य सरकार की कुल ऋण-देयता लगभग 14,039 करोड़ रुपये होगी। 31 मार्च, 2000 को हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का कुल ऋण 2,841.31 करोड़ रुपये था जिनके लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी हुई है। इन ऋणों की अदायगी के लिए राज्य सरकार उत्तदायी है। अगर किसी वर्ष में सरकार को ऐसे ऋणों की अदायगी करनी पड़ी तो हमारे विकास के लिए निवेश-योजना में बाधा आ सकती है। इसलिए मैं ऐसी संभावना से निपटने के लिए वर्ष 2001-02 के दौरान राज्य में 'सिंकिंग फण्ड' स्थापित करने का प्रस्ताव रखता हूं। इस फण्ड के

लिए बजट प्रावधान और सार्वजनिक उपक्रमों के ऋणों की गारंटी फीस आदि से राशि जुटाई जायेगी। इसी तरह, सरकारी विभागों और एजेन्सियों की कार्यप्रणाली को युक्तिपूर्ण एवं सरल बनाने की समीक्षा एवं प्रशासन को कारगर बनाने के लिये प्रयत्न करने होंगे। इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए मैं 'राज्य आर्थिक पुनर्जागरण कोष' (State Economic Renewal Fund) स्थापित करने का प्रस्ताव रखता हूं। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वार्षिक बजट प्रावधान के अलावा केन्द्रीय सहायता और सरकारी उद्यमों का योगदान भी लिया जायेगा।

बजट अनुमान, 2001-02

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब इस गरिमामय सदन के सम्मुख वर्ष 2001-2002 के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूँ।

83. रिजर्व बैंक के खातों के अनुसार, 2000-01 का वर्ष 165.51 करोड़ रुपये के घाटे के साथ आरम्भ हुआ तथा 233.86 करोड़ रुपये के घाटे के साथ समाप्त होने की सम्भावना है। इस प्रकार, वर्ष के दौरान लेन-देन में कुल 68.35 करोड़ रुपये का घाटा होगा जो बजट अनुमानों में दर्शाये 97.79 करोड़ रुपये के घाटे से 29.44 करोड़ रुपये कम है।

84. उपरोक्त अनुसार, 2001-02 का वर्ष 233.86 करोड़ रुपये के घाटे के साथ आरम्भ होगा तथा 288.79 करोड़ रुपये के घाटे के साथ समाप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार वर्ष के दौरान 54.93 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित है। बजट अनुमानों में राज्य योजना के लिए 2,150 करोड़ रुपये के प्रावधान के अतिरिक्त केन्द्र प्रायोजित एवं अन्य विकास योजनाओं के लिए 415 करोड़ रुपये का प्रावधान है। राज्य योजना के 2,150 करोड़ रुपये के परिव्यय को 1,581.70 करोड़ रुपये (73.6 प्रतिशत) के राज्य के अपने आय साधनों से तथा 568.30 करोड़ रुपये (26.4 प्रतिशत) की केन्द्रीय सहायता से पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

85. वर्ष 2001-2002 के बजट अनुमानों में राज्य की समेकित निधि में 12,171.63 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियां दिखाई गई हैं, जबकि वर्ष 2000-01 के संशोधित अनुमानों में ये प्राप्तियां 10,435.73 करोड़ रुपये की हैं। वर्ष 2001-02 के बजट अनुमानों के अनुसार समेकित निधि से 13,333.01 करोड़ रुपये का खर्च होने की सम्भावना है, जबकि वर्ष 2000-01 के संशोधित अनुमानों में यह खर्च 11,426.53 करोड़ रुपये है।

86. वर्ष 2001-02 के बजट अनुमानों में 7,959.26 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां दिखाई गई हैं, जो वर्ष 2000-01 के संशोधित अनुमानों की 7,035.91 करोड़ की प्राप्तियों से 923.35 करोड़ रुपये अधिक हैं। इसी प्रकार, वर्ष 2001-2002 के बजट अनुमानों में 8,997.46 करोड़ रुपये का राजस्व खर्च दिखाया गया है, जो वर्ष 2000-01 के संशोधित अनुमानों के 8,069.09 करोड़ रुपये से 928.37 करोड़ रुपये अधिक है। खर्च में बढ़ोतरी मुख्यतः वेतन में 466.78 करोड़ रुपये, ब्याज भुगतान में 259.56 करोड़ रुपये, कृषि हेतु बिजली सबसिडी के लिए 156.22 करोड़ रुपये का अधिक खर्च होने के कारण हुई है।

87. जैसा कि मैंने आरम्भ में बताया था, राजस्व लेखों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। वर्ष 2000-01 के संशोधित अनुमानों में 1,033.18 करोड़ रुपये का घाटा आंका गया है जो चालू वर्ष के बजट अनुमानों के 1,341.27 करोड़ रुपये के घाटे से 308.09 करोड़ रुपये कम होगा और वर्ष 1999-2000 के 1,185.29 करोड़ रुपये के वास्तविक घाटे से 152.11 करोड़ रुपये कम होगा। पहले बताए गए वित्तीय सुधार उपायों एवं नई नीतियों को अपनाने से अतिरिक्त साधन उपलब्ध होंगे तथा इससे वित्तीय घाटा और कम होगा।

[प्रो0 सम्पत सिंह]

88. वर्ष 2001-02 के लिए आय और खर्च के अनुमानों का निर्धारण करते समय हमने योजना आयोग से प्राप्त निर्देशों को ध्यान में रखा है। केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा योजना आयोग के संकेतानुसार ही रखा गया है। राज्य की कर प्राप्तियों में 15.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाई गई है तथा गैर-करप्राप्तियों को पिछले रुझानों के अनुसार आंका गया है। योजनेतर खर्च पर अंकुश लगाने के लिए यथासम्भव प्रयास किये गये हैं। वर्ष 2001-2002 के बजट अनुमानों में जनवरी एवं जुलाई, 2001 से देय मंहगाई भत्ते की दो किस्तों के लिए 197.88 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

89. माननीय सदस्यगण इस बात को सराहेंगे कि बजट घाटे को प्रबन्धयोग्य रखा गया है तथा घाटे को और कम करने के लिए हमने कुछ और कदम उठाने का प्रस्ताव किया है। हमें उम्मीद है कि केन्द्र सरकार के नई आर्थिक नीति-निर्णयों से केन्द्रीय करों का अंतरण और बढ़ेगा।

90. मैं इस गरिमामय सदन को यह बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने नागरिकों के हितों को हमेशा सर्वोपरि रखा है। इसलिए हमने इस बजट में नये कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सदन के माननीय सदस्यगण तथा हरियाणा की जनता के सहयोग से हम अपने सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू कर सकेंगे।

91. इस भाषण के समाप्त करने से पहले मैं वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने पिछले एक महीने से अथक परिश्रम करके इन बजट प्रस्तावों को तैयार करने में मेरी सहायता की है।

92. महोदय, अब मैं 2001-02 के बजट अनुमानों को इस गरिमामय सदन के विचार तथा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं।

जय हिन्द !

स्पीकर सर, आपकी इजाजत से जो हमने वैबसाइट तैयार की है WWW.HARYANA.NIC.IN.COM इस पर हम बजट को उपलब्ध कराएंगे। साथ में मैं इसकी सी0 डी0 आपको, सदन के नेता को और विपक्ष के नेता को भी अर्पित करता हूं।

Mr. Speaker : Now the House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow the 13th March, 2001.

*16.18 hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Tuesday the 13th March, 2001).

Haryana Vidhan Sabha Secretariat Chandigarh LIBRARY

33156—H.V.S.—H.G.P., Chd.